भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
निर्गम विभाग / Issue Department
कोलकाता / Kolkata

बक्से में पैक किए गए बैंक नोटों और/या बैग में पैक किए गए सिक्कों (वाहक के जोखिम वाले सिक्के) के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति के लिए ई-निविदा

ई-निविदा सं. RBI/Kolkata Regional Office/Issue/1/25-26/ET/854

(भाग I)

(तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

निविदाकर्ता का नाम : _____

पता : _____

_____

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित), निर्गम विभाग, कोलकाता ने इच्छुक पक्षकारों को संविदा संबंधी पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। यद्यपि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, फिर भी भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी, या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों में से कोई भी इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इससे संबंधित किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई वारंटी नहीं देता है या कोई भी प्रतिनिधित्व, व्यक्त या निहित रूप से नहीं करता है।

इस दस्तावेज़ का उद्देश्य इच्छुक पक्षकारों को काम की जानकारी प्रदान करना है। यह बोली दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और न तो बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी और न ही उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए इस दस्तावेज़ को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है। इस दस्तावेज़ में निहित धारणाएं, आकलन, कथन और जानकारी पूर्ण, सटीक, पर्याप्त या सही नहीं हो सकती है। इसलिए, प्रत्येक निविदाकर्ता को अपनी जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज में निहित मान्यताओं, आकलन, बयानों और सूचनाओं की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

बैंक या उसके कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और किसी भी कानून, क़ानून नियमों या विनियमों या अपकृत्य, क्षतिपूर्ति या अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांतों या अन्यथा किसी भी नुकसान, क्षति, लागत या व्यय के लिए किसी भी व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दायित्व नहीं होगा, जो इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के कारण उत्पन्न हो सकता है या हो सकता है या पीड़ित हो सकता है, बोली की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता या पूर्णता और उसमें निहित किसी भी मूल्यांकन, धारणा या जानकारी को शामिल करना या इस दस्तावेज़ का हिस्सा माना जाता है।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी स्वयं की जांच-पड़ताल करनी होगी और निविदा प्रस्तुत करने वालों को लिखित रूप में इसकी पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे ई-निविदा जमा करने में सिर्फ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

यह एक खुली निविदा है। वे निविदाकर्ता/वेंडर जो इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार विवरण प्रस्तुत करते हैं, भाग लेने के पात्र हैं।

बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में परिलक्षित निविदा की अनुसूची को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष/बोलीदाता के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

बैंक अपने विवेक पर, सफल निविदाकर्ता को एक या अधिक, या काम की सभी वस्तुओं को सौंप सकता है, जिसके लिए दरों की मांग की जाती है। सुरक्षित कंटेनरों की आपूर्ति के लिए करार/अनुबंध दर अनुबंध के रूप में होता है। बैंक अनुबंध के तहत न तो किसी विशिष्ट मात्रा में नौकरी का वादा करता है और न ही आश्वासन देता है। बैंक किसी भी परिस्थिति में संविदाकार के चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों को किसी को भी प्रकट करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी बदलाव की सलाह पर विचार नहीं किया जाएगा। उद्धृत दरों को समाप्त कार्य के लिए माना जाएगा और बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होगा।

अभिरुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी में जारी नोटिस में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण में उल्लिखित विवरण मान्य होगा।

क्र. सं.	भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)
1.	निविदा की अनुसूची
2.	ई-निविदा प्रक्रिया और महत्वपूर्ण निर्देश
3.	अखंडता समझौता
4.	खंड I - निविदा का प्रारूप
5.	खंड II - सामान्य नियम और शर्तें
6.	खंड III - कार्य का दायरा
7.	खंड IV – निविदा प्रपत्र
8.	अनुसूची ए - अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की जांचसूची
9.	अनुसूची बी - संगठनात्मक विवरण
10.	अनुसूची सी – पंजीकरण विवरण
11.	अनुसूची डी - वाहन विवरण
12.	अनुसूची ई- ग्राहकों की सूची
13.	अनुसूची एफ - बैंकरों का विवरण
14.	अनुलग्नक I - ई-भुगतान के लिए आरबीआई, कोलकाता का एनईएफटी विवरण
15.	अनुलग्नक II - पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप
16.	अनुलग्नक III
17.	अनुलग्नक IV - करार की शर्तों का मसौदा
18.	अनुलग्नक V - सत्यनिष्ठा समझौता
19.	अनुलग्नक VI: ईएमडी के स्थान पर बैंक गारंटी का प्रारूप
20.	**भाग-II (मूल्य बोली)**
21.	खंड V - निविदाओं की अयोग्यता/अस्वीकृति के लिए निषिद्ध प्रथाएं/स्थितियां

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

a)	ई-टेंडर नंबर	**[बैग में पैक किए गए सिक्कों (वाहक के जोखिम के साथ) और/या बक्से में पैक किए गए बैंक नोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढके हुए धातु कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति]**
b)	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi के माध्यम से मूल्य बोली)
c)	अनुमानित लागत	दो वर्षों में केवल 26.04 करोड़ रुपये (छब्बीस करोड़ चार लाख रुपये मात्र)। वास्तविक लागत आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती है।
d)	एनआईटी की तिथि पार्टियों के लिए www.mstcecommerce.com पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है एम/एप्रोकोम/आरबीआई	18.01.2026 से 08.02.2026 तक
e)	देखने के लिए निविदा उपलब्ध होने की अंतिम तिथि	08.02.2026
f)	पात्र बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक	09.02.2026 को 11:00 बजे, चौथी मंजिल, निर्गम विभाग, आरबीआई कोलकाता
g)	बयाना धन जमा	कार्य की कुल अनुमानित लागत का 2% अर्थात् कार्य की अनुमानित लागत का 2% अर्थात् ₹ 52.08 लाख केवल (बावन लाख आठ हजार रुपये मात्र) के माध्यम से (1)एनईएफटी से खाता संख्या 186003001, जिसका नाम –

		आरबीआई, कोलकाता और आईएफएससी - RBIS0KLPA01 (कोड में '0' शून्य का प्रतिनिधित्व करता है) या (2) अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी । (3) ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19.02.2026 को 13:00 बजे या उससे पहले है। इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
h)	हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौते की भौतिक प्रति जमा करने की अंतिम तिथि और समय	इंटीग्रिटी पैक्ट की मूल हार्ड कॉपी (या तो भौतिक रूप से या डाक के माध्यम से*) को 19 फरवरी, 2026 को दोपहर 12 बजे या उससे पहले बैंक में जमा करनी होगी
i)	लेन-देन शुल्क (विक्रेताओं द्वारा ई-निविदा में भाग लेने के लिए एमएसटीसी ई-भुगतान गेटवे के माध्यम से एमएसटीसी को अलग से भुगतान और प्रस्तुत किया जाना है)	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सलाह के अनुसार एमएसटीसी पेमेंट गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
j)	जमा करने की अंतिम तिथि (ख) पात्र बोलीदाताओं द्वारा निविदा की संख्या (भाग-I और भाग-II)	19.02.2026 को 13:00 बजे
k)	भाग- I के खुलने की तिथि और समय (तकनीकी- वाणिज्यिक बोली)	19.02.2026 को 15:00 बजे
l)	इसे खोलने की तिथि और समय भाग- II (मूल्य बोली)	पात्र बोलीदाताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।

m)	ईमेल क्वेरी, यदि कोई हो, को भेजा जा सकता है	1. ankurhandique@rbi.org.in 2. sukanyahazarika@rbi.org.in 3. rpdhamanaskar@rbi.org.in 4. ashwinwalke@rbi.org.in
n)	संचार के लिए पता	निर्गम विभाग, 4 वीं मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय 15, एनएस रोड, कोलकाता-700001

ए. ऊपर बताई गई किसी भी तारीख को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए संचालित हो जाएगा। निविदा दस्तावेज **www.mstcecommerce.com** और **www.rbi.org.in** **से डाउनलोड किया जा सकता है।**

बी. बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, नियमों और शर्तों की जांच करे। निविदा दस्तावेज द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता जो हर तरह से निविदा दस्तावेज के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं है, बोलीदाता के जोखिम पर होगी और इसके परिणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

सी. बोलीदाता निविदा दस्तावेज के पाठ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, मिटाना या नष्ट नहीं करेगा और न ही करवाएगा।

ई-निविदा प्रक्रिया

1.	**सिस्टम आवश्यकताएँ**: - i) विस्तृत मैनुअल लिंक MSTC ई-कॉमर्स (https://www.mstcecommerce.com/eprocn) >सिस्टम सेटिंग्स -> डाउनलोड गाइड/एज सेटिंग (एज ब्राउज़र के लिए) में उपलब्ध है ई-निविदा में भाग लेने के लिए सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ii) अधिक जानकारी के लिए, **वेंडर** संदर्भित कर सकता है अधिक जानकारी के लिए, **वेंडर** एमएसटीसी ई-कॉमर्स (https://www.mstcecommerce.com/eprocn) पर उपलब्ध **वेंडर** गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख कर सकता है 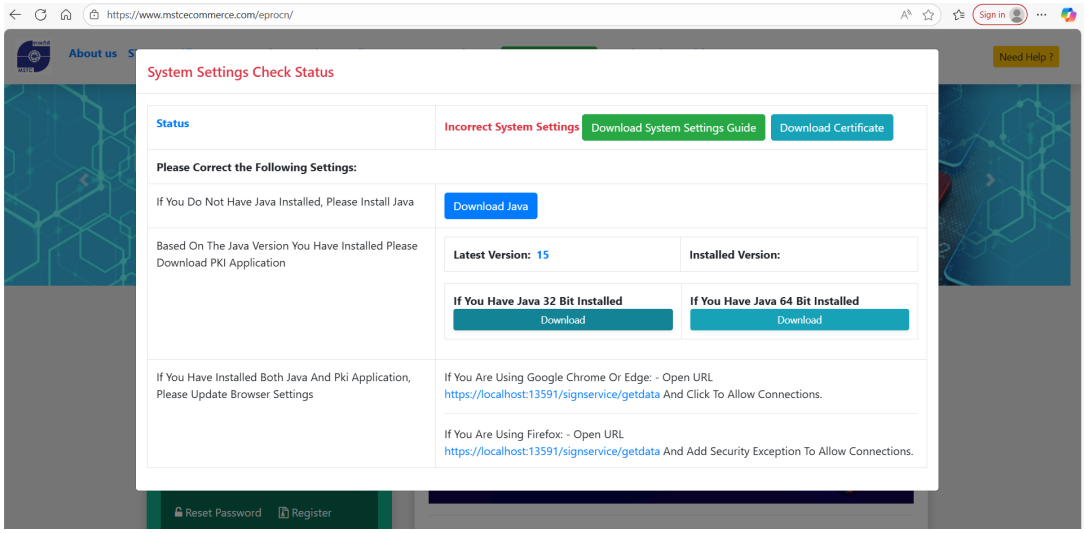
2.	**पंजीकरण: -** I. इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो नि:शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। II. वेंडर को www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट →पीएसयू/सरकारी विभागों के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है। →आरबीआई पर क्लिक करें →वेंडर के रूप में पंजीकरण करें, विवरण भरें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं→ सबमिट करें। III. वेंडर को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा उनका ई-मेल जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

3.	**लेन-देन शुल्क** i) वेंडर को वेंडर लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। ii) वेंडर को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। iii) वेंडर के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। iv) एनईएफटी का चयन करने पर, वेंडर एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। वेंडर में बदलाव किए बिना चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। v) ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, वेंडर के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। vi) एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और वेंडर को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक वेंडर के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी। नोट - बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से भेज दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।
4.	**ई-निविदा में बोली:** i) बोलीदाता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी जमा करने की आवश्यकता है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ii) सिर्फ वे बोलीदाता जिन्होंने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे ई-प्रोक्योरमेंट →पीएसयू/सरकारी विभागों→आरबीआई वेंडर लॉगिन →मेरा मेनू→ नीलामी फ्लोर मैनेजर→ लाइव इवेंट →लाइव इवेंट का चयन→ टेक्नो कमर्शियल बिड → www.mstcecommerce.com एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं। iii) बोलीदाता को जोखिम स्वीकार करके और रन पर क्लिक करके 'enApple' नामक एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। टेक्नो-कमर्शियल बिड पर क्लिक करने के तुरंत बाद यह कवायद दो बार करनी होती है। यदि यह आवेदन नहीं चलता है तो बोलीदाता अपनी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा। iv) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर बोली लगाने वाले को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "सबमिट" बटन पर क्लिक कर सकता है। नोट: - बोलीदाता द्वारा "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक करने के बाद तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और

	मूल्य बोली को संशोधित नहीं किया जा सकता है।
5.	**बोलियां खोलना** (अ) भाग-I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। बोलीदाता बोली के इलेक्ट्रॉनिक उद्घाटन को देख सकते हैं। (आ) भाग-II मूल्य बोली सिर्फ उन्हीं बोलीदाताओं से इलैक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग-I तकनीकी वाणिज्यिक बोली भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य पाई गई है। ऐसे बोलीदाताओं (बोलीदाताओं) को उनके द्वारा पुष्टि की गई वैध ई-मेल के माध्यम से भाग-II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी। नोट: चूंकि आम तौर पर कोई बातचीत नहीं होती है, इसलिए निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मूल्य बोली प्रस्तुत करते समय अपने सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रस्तुत करें। तथापि, यदि मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दर उचित प्रतीत होती है, तो आदेश सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जा सकता है और यदि दर को अभी भी अधिक माना जाता है, तो प्रचलित अनुदेश/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
6.	**आगे की पूछताछ/सहायता के लिए संपर्क विवरण (एमएसटीसी):** एचओ सेंट्रल हेल्प डेस्क: (वेंडर के लिए) - फोन नंबर: 07969066600 helpdeskho@mstcindia.in (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें) उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों ई-निविदा, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक। श्री सब्यसाची मुखर्जी - 7278030407 ईमेल आईडी: smukherjee@mstcindia.co.in श्री क्रांति कुमार – 9174009882 ईमेल आईडी: kkkumar@mstcindia.co.in एमएसटीसी हेल्प लाइन:9499054101/2/3/4 ईमेल आईडी : helpdesk@mstcindia.co.in **संपर्क व्यक्ति: आरबीआई, निर्गम विभाग, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय:**

नाम और पदनाम	ईमेल आईडी	मोबाइल
श्री अंकुर हांडिक, एजीएम	ankurhandique@rbi.org.in	7086159321
सुश्री सुकन्या हजारिका, प्रबंधक	sukanyahazarika@rbi.org.in	8088644453
श्री रोहित धमनस्कर सहायक प्रबंधक	rpdhamanaskar@rbi.org.in	9664555224
श्री अश्विन वाल्के	ashwinwalke@rbi.org.in	8275837038

ई-निविदा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश

1. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ें।
2. मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।
3. वेंडर के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। वेंडर को इंटरनेट से जुड़े पर्सनल कंप्यूटर से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी/आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
4. लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक वेंडर के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।
5. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर उपलब्ध वेंडर गाइड को पढ़ें ।
6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता (बोलीदाताओं) को सभी नोटिस और पत्राचार सिर्फ ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनकी कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी प्रदान की गई है और एमएसटीसी (यानी सेवा प्रदाता) के साथ वेंडर के पंजीकरण के चरण में अद्यतन की गई है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
7. इस एनआईटी को शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई अलग सूचना निविदाकर्ताओं को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेब साइट से दस्तावेज डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi देखें।
8. एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।
9. सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
10. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. ई-निविदा का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।
12. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।
13. वेंडर को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ पुस्तकालय में दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए बोली लगाने के लिए अटैच डॉक्यूमेंट लिंक का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एकल दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर गाइड के निर्देशों का पालन करें।

14. बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा जो एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
15. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो।
16. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।
17. ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद, बोलीदाता जमा करने के बाद निविदा तक नहीं पहुंच सकता है।
18. ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
19. बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।
20. बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

अखंडता समझौता

आरबीआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार अखंडता समझौते को अपनाया है और यह बोली एक अखंडता समझौते के तहत कवर की जाएगी। **वेंडर** को सत्यनिष्ठा संधि दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और बोलियों के साथ आरबीआई को जमा करने की आवश्यकता होती है।

i.बैंक द्वारा बोलियां खोलने से पहले सभी बोलीदाताओं को अखंडता समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौते के बिना बोलियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

ii. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित अनुलग्नक V के अनुसार सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करें और इसकी मूल हार्ड कॉपी (या तो भौतिक रूप से या डाक के माध्यम से*) 19 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे या उससे पहले बैंक में जमा की जानी चाहिए।

सत्यनिष्ठा समझौते में स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर (आईईएम) की नियुक्ति की परिकल्पना की गई है जो स्वतंत्र रूप से इस बात की समीक्षा करेगा कि संविदा के दो पक्षकारों (बोलीदाता और बैंक) ने सत्यनिष्ठा संधि के तहत अपने दायित्वों का किस हद तक अनुपालन किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुमोदित के अनुसार, श्री नागेश्वर राव कोरिपल्ली, आईआरएस (सेवानिवृत्त) और श्री प्रमोद श्रीपद फालणीकर, आईपीएस (सेवानिवृत्त) को 01 अप्रैल 2024 से तीन साल की अवधि के लिए आरबीआई में स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है। उनमें से कोई भी इस ई-निविदा प्रक्रिया के लिए आईईएम के रूप में कार्य कर सकता है। बोलीदाता उनसे क्रमशः knageshwarrao@gmail.com/ pramodphalnikar@gmail.com पर संपर्क कर सकता है।

नोट: डाक के माध्यम से हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौता जमा करने के लिए, बोलीदाता को इसे 19 फरवरी, 2026 को दोपहर 12 बजे या उससे पहले निम्नलिखित पते पर भेजना चाहिए:

सेवा मे
निर्गम विभाग,
4थी मंजिल, मुख्य कार्यालय भवन,
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय
15, एनएस रोड, कोलकाता-700001

खंड I

निविदा का प्रारूप

स्थान _____

तारीख _____

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक,
15, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता - 700001

प्रिय महोदय,

बक्से में पैक किए गए बैंक नोटों और/या बैग में पैक किए गए सिक्कों (वाहक के जोखिम वाले सिक्के) के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रकों / वाहनों की आपूर्ति के लिए ई-निविदा।

मैं/हमने निविदा आमंत्रित करने की सूचना, नियम और शर्तों और निविदा में निर्दिष्ट अन्य सभी सामग्री को ध्यान से पढ़ा और उसकी जांच की है और निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, हम अनुबंध के आधार पर बक्से में पैक किए गए बैंक नोटों और/या बैग में पैक किए गए सिक्कों (वाहक के जोखिम वाले सिक्के) के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति प्रदान करने की पेशकश करते हैं। मैं/हम एतद्द्वारा कार्य के दायरे, विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार कार्य के दायरे, विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट समय के लिए अनुबंध के नियमों और शर्तों और निविदाकर्ताओं को निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण शर्तों और ऐसी अन्य सामग्रियों के साथ निष्पादित करने की पेशकश करते हैं जो प्रदान किए गए हैं, और अन्य सभी मामलों में, ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

<u>ज्ञापन</u>

क्र. सं.	**विवरण**	**निविदा का विवरण**
1	कार्यों का विवरण	बक्से में पैक किए गए बैंक नोटों और/या बैग में पैक किए गए सिक्कों (वाहक के जोखिम वाले सिक्के) के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति
2	संविदा अवधि	1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028

3	अनुमानित लागत / व्यय जो अनुबंध अवधि के दौरान आरबीआई, कोलकाता द्वारा वहन किया जा सकता है	₹26.04 करोड़ /- (छब्बीस करोड़ चार लाख रुपये मात्र) यह राशि सिर्फ सांकेतिक है और आरबीआई कोलकाता इस ज्ञापन में बताई गई अनुमानित लागत/खर्च के बराबर या उससे ज़्यादा खर्च करने के लिए बाध्य नहीं है।
4	बयाना धन जमा (EMD)	कार्य की अनुमानित लागत का 2% अर्थात् ₹ 52.08 लाख मात्र (बावन लाख आठ हजार रुपये मात्र)
5	भुगतान का तरीका	एनईएफटी/ अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी
6	संविदा का विस्तार	भारतीय रिज़र्व बैंक कोलकाता द्वारा मूल संविदा के निबंधन और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना संतोषजनक प्रदर्शन के अध्यधीन अपने विवेक पर एक वर्ष की और अवधि के लिए अनुबंध को बढ़ाया जा सकता है।

2. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिस पर बैंक और मैं/हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है। मैं/हम निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना राशि को वैध रखने के लिए भी सहमत हैं।

3. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम इसके द्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारी, या कार्यालय में संपत्ति-भागी या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो निविदा की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

4. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेजों और कार्य से जुड़े अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय दस्तावेजों के रूप में मानेंगे और उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जानकारी/उससे प्राप्त जानकारी का संचार नहीं करेंगे, जिसे मैं/हम इसे संप्रेषित करने के लिए अधिकृत हैं या भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से जानकारी का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं।

5. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

दिनांक 2026.

कृते और उसकी ओर से मैसर्स_____

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____ पदनाम _____ स्थान _____ तारीख _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

साक्ष्य

(1) नाम के साथ हस्ताक्षर _____ पता और तारीख ___

(2) नाम के साथ हस्ताक्षर _____ पता और तारीख ___

खंड II

सामान्य नियम और शर्तें

(अ) निविदा/बोली वाले दस्तावेज

<u>भाग I: (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)</u>

i) ₹100/- के बॉन्ड पेपर पर विधिवत हस्ताक्षरित संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता

ii) निविदा/बोली का प्रपत्र

iii) बयाना जमा-राशि (ईएमडी) के भुगतान के दस्तावेजी साक्ष्य

iv) विधिवत पूर्ण चेकलिस्ट (अनुसूची ए के अनुसार)

v) अनुलग्नक- III

vi) विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज जिसमें खंड I से खंड IV शामिल हैं

vii) अनुसूची ए से अनुसूची एफ तक विधिवत रूप से भरी गई।

viii) संविधान या कानूनी स्थिति, पंजीकरण के स्थान और व्यवसाय के प्रमुख स्थान को परिभाषित करने वाले मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र दस्तावेजों की प्रतियां; बोलीदाता को प्रतिबद्ध करने के लिए बोली के हस्ताक्षरकर्ता की लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी। उपयुक्त व्यवसाय लाइसेंस/पंजीकरण:

ए) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र

बी) पैन

सी) ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस की प्रतियां

डी) निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 या राज्य द्वारा प्रख्यापित इसी तरह के अधिनियम/नियमों के तहत वैध लाइसेंस की प्रति जिसमें सेवा की जाती है (सुरक्षा सेवा के मामले में)

ix) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के लिए निष्पादित सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।

x) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान प्रकृति और आकार की सेवाओं में कार्य आदेशों और अनुभव की प्रतियां, और चल रही या अनुबंधित रूप से प्रतिबद्ध सेवाओं का विवरण; और उन ग्राहकों के नाम और पते जिनसे उन संविदाके बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है।

xi) इस संविदा के लिए कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता का प्रमाण (ऋण व्यवस्था तक पहुंच और अन्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता)।

xii) पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (संबंधित अवधि के लिए बैलेंस शीट के साथ लाभ और हानि (पी/एल) विवरणों की प्रतियां)।

xiii) बैंक खाते का विवरण।

xiv) बोलीदाता के बैंकरों से संदर्भ प्राप्त करने का अधिकार।

xv) किसी भी मुकदमेबाजी, वर्तमान या पिछले पांच वर्षों के दौरान, जिसमें बोलीदाता शामिल है, संबंधित पक्ष, और विवादित राशि के बारे में जानकारी और

(xvi) सेवाओं के उप-संविदा के घटकों (यदि कोई हो) के लिए प्रस्ताव जो संविदा मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक हैं।

<u>भाग II: (मूल्य बोली): विधिवत भरा हुआ और mstcecommerce वेबसाइट में प्रस्तुत किया गया</u>

(आ) स्पष्टीकरण और बोली-पूर्व बैठक

i) यदि बोलीदाताओं को सामान्य शर्तों के किसी भी हिस्से के अर्थ, या विशेष शर्तों या कार्य के दायरे या निविदा से संबंधित किसी अन्य मामले के बारे में कोई संदेह है, तो वह बोली-पूर्व बैठक की निर्धारित तारीख से पहले, अच्छे समय पर, उसका विवरण प्रस्तुत करेगा और उन्हें आरबीआई को प्रस्तुत करेगा, निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप में संबोधित किया गया है, ताकि बोली पूर्व बैठक के दौरान इस तरह की शंकाओं को आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया जा सके और सभी बोलीदाताओं को उचित समय पर अवगत कराया जा सके। एक बार निविदा जमा हो जाने के बाद, इस तरह के प्रामाणिक पूर्व-स्पष्टीकरण के अभाव में मामले को निविदा शर्तों के अनुसार तय किया जाएगा।

ii) कार्य के दायरे, अन्य विवरणों को समझाने और बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे/प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए, निविदा की अनुसूची (एसओटी) में निर्दिष्ट तिथि, समय और स्थान पर एक पूर्व-बोली बैठक की व्यवस्था की जाएगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा का अवलोकन करें और साइट पर जाएं और किसी भी मामले को स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, पूर्व-बोली बैठक के लिए निर्धारित तारीख के पिछले कार्य दिवस पर शाम 5:00 बजे तक आरबीआई को प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता कार्य के लिए निविदा देते समय किसी शर्त को शामिल करना चाहता है, तो उसे बोली-पूर्व बैठक से पहले उसे प्रस्तुत करना होगा ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक इसकी जांच/विचार कर सके। सभी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में बोली-पूर्व बैठक में भाग लें। किसी भी विचलन / शर्त के साथ प्राप्त कोई भी निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। बोली-पूर्व बैठक के बाद किसी और संदेह/स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

(इ) निविदा दस्तावेज में संशोधन

i) निविदा/बोलियां जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या संभावित बोलीदाता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर में, संशोधन द्वारा निविदा दस्तावेज के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है।

ii) संशोधन आरबीआई की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

iii) बोलीदाताओं को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट पर जाएं www.rbi.org.in यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे संशोधन, यदि कोई हो, के बारे में जानते हैं। जारी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, अनुबंध दस्तावेज का हिस्सा होगा।

iv) ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी बोलीदाताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेकाधिकार से बोलियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

(ई) बोली तैयार करना और बोली लगाने की लागत

बोलीदाता को अपनी जिम्मेदारी पर और अपने स्वयं के खर्चों पर सभी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जो निविदा बनाने और अनुबंध में प्रवेश करने के उद्देश्य से आवश्यक हो सकती है और कार्य स्थल का निरीक्षण कर सकता है और सभी स्थानीय परिस्थितियों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से खुद को परिचित कर सकता है।

(उ) बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

i) निविदा में निर्दिष्ट कार्य की कुल अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत ईएमडी सभी बोलीदाताओं से अग्रिम रूप से एकत्र किया जाएगा।

ii) बोलीदाताओं को निविदा (भाग-I) के साथ एसओटी में निर्दिष्ट राशि के लिए बयाना धन जमा (ईएमडी)/बोली सुरक्षा के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

iii) ईएमडी को एनईएफटी के माध्यम से या अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है।

iv) एक निविदा, जो ईएमडी के साथ नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाती है तो असफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को बयाना राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

v) किसी भी परिस्थिति में, ईएमडी को बैंक या बीमा गारंटी या चेक या अन्य की सावधि जमा रसीद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

vi) किसी भी फर्म (सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित) को प्रतिभूति जमा और बयाना धन जमा (ईएमडी) जमा करने

के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। ईएमडी के बिना प्राप्त किसी भी बोली को गैर-वास्तविक माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ऊ) सुरक्षा जमा के बदले कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी

i) सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में भुगतान की गई **₹25,00,00,000/- (मात्र पच्चीस करोड़ रुपये)** की सुरक्षा जमा, साथ ही संपूर्ण संविदा अवधि के लिए वैध उसकी निविदा के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संविदा के निष्पादन और उचित पूर्ति के लिए सुरक्षा जमा के रूप में रखी जाएगी। उक्त जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(ऋ) बोली पर हस्ताक्षर, पावर ऑफ अटॉर्नी

i) प्रत्येक निविदा दस्तावेज पर निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जो अनुबंध की सामान्य शर्तों, विनिर्देशों और अन्य नियमों और शर्तों आदि से परिचित हैं।

ii) बोलीदाता निविदा के भाग-I के साथ, उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करेंगे और विधिवत नोटरीकृत होगा, बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में, बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, उसमें सुधार/संशोधन करने और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बातचीत करने और संपर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रोफार्मा यहां संलग्न फॉर्म में होगा।

(ऌ) बोलियों में संशोधन/प्रतिस्थापन/वापसी

i) निविदा जमा करने की नियत तारीख और समय के बाद प्रस्तुत बोली में कोई संशोधन या प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii) बोलीदाता अपनी प्रस्तुत बोली को वापस ले सकता है, बशर्ते कि बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निकासी की लिखित सूचना प्राप्त हो गई हो। यदि कोई बोलीदाता अपनी बोली को फिर से जमा करना चाहता है, तो वह सभी लागू शर्तों का पालन करते हुए नियत तारीख के भीतर एक नई बोली प्रस्तुत करेगा।

iii) निकासी नोटिस की सिर्फ एक प्रति तैयार की जाएगी, और नोटिस के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी। नोटिस को विधिवत "वापसी" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(ॠ) बोली की देय तिथि

भारतीय रिज़र्व बैंक, असाधारण परिस्थितियों में, और अपने विवेकाधिकार पर, बोली की नियत तारीख को बढ़ा सकता है।

(ऐ) बोलियां खोलना

i) अपलोड किए गए निविदा भाग I, ईएमडी, तकनीकी विवरण, आदि, जिसे निविदा का भाग I कहा जाता है, समय और तारीख पर खोला जाएगा, जैसा कि एसओटी में निर्दिष्ट है, कार्यालय में, निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो उपस्थित होना चुनते हैं।

ii) निविदा दस्तावेजों के भाग-I की जांच के बाद योग्य पाए जाने वाले बोलीदाताओं की मूल्य बोली, जिसमें विधिवत भरी हुई निविदा-भाग-II शामिल है, सिर्फ बाद की तारीख को योग्य बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी, जिसे सभी योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा।

(ए) निविदा की स्वीकृति और कार्य प्रदान करना

i) भारतीय रिज़र्व बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल बोलीदाता संविदा को निष्पादित करने/निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा और उसके एक सप्ताह के भीतर, सफल बोलीदाता करार के मसौदा लेखों के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। यदि निविदा स्वीकार करने के बाद बोलीदाता कार्य करने में विफल रहता है, तो बोलीदाता किसी भी निविदा में भाग लेने या बैंक में किसी भी कार्य को निष्पादित करने से पांच साल के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

ii) करार के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टांप पेपर की लागत सफल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।

(ऐ) किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार

ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय रिज़र्व बैंक अनुबंध प्रदान करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं पड़ता है। भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा।

(ऑ) जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का प्रावधान:

जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का अनुपालन, सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 23 जुलाई 2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ.सं.6/18/2019-पीपीडी के माध्यम से डाला गया, उसके आगे जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश और उनके बाद के संशोधन अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीदाता अपने लेटरहेड पर उपक्रम/घोषणा/प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसे विधिवत सील किया गया हो और अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया

गया हो। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए वचन / घोषणा / प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं, तो उसकी निविदा/कार्य आदेश को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, और बयाना जमा-राशि / कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा को जब्त करने सहित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है और बैंक भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से बोलीदाता को भी रोक सकता है।

निविदाकर्ता को यह घोषित करना होगा कि क्या उसका रिश्तेदार बैंक में कार्यरत है और यदि हां, तो किस स्थिति में है। यदि बैंक में कोई रिश्तेदार कार्यरत नहीं है, तो निविदाकर्ता को उस आशय की घोषणा देनी होगी।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान:
दिनांक: बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अध्याय III

कार्य का दायरा

बोलीदाता को कम से कम पच्चीस (25) पूरी तरह से ढके हुए धातु के कंटेनर ट्रक/वाहन उपलब्ध कराने होंगे जिनकी ऊंचाई 10.5 फीट से अधिक न हो, पर्याप्त मोटाई की धातु की बॉडी हो, अधिमानतः बुलेटप्रूफ/छेड़छाड़रोधी हो, सुरक्षित छेड़छाड़रोधी डबल लॉकिंग व्यवस्था हो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से लैस हो, यात्री और कार्गो डिब्बे के लिए सीसीटीवी सक्षम हो, वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली के साथ-साथ हूटर और अग्निशामक यंत्र भी निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उपलब्ध हों:

i. थैलों में पैक किए गए सिक्कों का परिवहन, वाहक के जोखिम पर:

अ) आरबीआई, कोलकाता या भारत सरकार टकसाल, कोलकाता से आरबीआई, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में स्थित मुद्रा संदूकों तक, वाहक के जोखिम पर;

आ) आरबीआई, कोलकाता या भारत सरकार टकसाल, कोलकाता से बाहरी आरबीआई निर्गम कार्यालयों या बाहरी मुद्रा संदूकों तक या आरबीआई, कोलकाता द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक, वाहक के जोखिम पर।

ii. बक्सों में पैक किए गए बैंकनोटों का परिवहन:

अ) रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे/प्रेस/कोई भी स्थान या आरबीआई का कोई भी निर्गम कार्यालय, आरबीआई, कोलकाता तक;

आ) आरबीआई, कोलकाता से उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित मुद्रा संदूकों तक या आरबीआई, कोलकाता द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक;

इ) आरबीआई, कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में स्थित मुद्रा संदूकों से आरबीआई, कोलकाता तक या आरबीआई, कोलकाता द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक।

एक समय में एक से अधिक गंतव्यों को धन भेजा जा सकता है/प्राप्त किया जा सकता है।विप्रेषण एक समय में एक से अधिक गंतव्यों को भेजा जा सकता है/प्राप्त किया जा सकता है।

पात्रता:

निविदाकर्ताओं को अनुभवी, संसाधनपूर्ण, वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस प्राप्त इकाई (कंपनी / साझेदारी / मालिकाना फर्म, आदि) होना चाहिए। और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना:

i.बोलीदाता के पास केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों को समान प्रकार की सेवाओं (समान सेवाओं का अर्थ है नकद/कीमती सामान (सिक्के/बैंकनोट) के परिवहन और हैंडलिंग के लिए सेवाएं) का

कम से कम तीन साल का अनुभव (बोली खोलने से पहले मार्च के महीने में समाप्त) होना चाहिए। सेवा की अवधि के साथ ऐसे केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची के साथ प्रदान की गई सेवाएं प्रस्तुत की जाएंगी।

ii. बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों में इसी तरह की सेवाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित/पूरा करना चाहिए (समान कार्य का अर्थ है कि एकल निविदा/अनुबंध के तहत निष्पादित प्रत्येक समान पूर्ण कार्य)।ई, चालू वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्ष:

अ. तीन समान पूर्ण सेवाओं के साथ प्रत्येक लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या

आ. दो समान पूर्ण सेवाओं के साथ प्रत्येक लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या

इ. एक समान पूर्ण सेवा की लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है

iii. पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुबंध की **अनुमानित लागत का कम से कम 30%** का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित।

iv.बोलीदाता के पास नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट (31 मार्च, 2025 तक) के अनुसार सकारात्मक निवल मूल्य होगा। बोलीदाताओं को अपने बैंकर (एक अनुसूचित बैंक) द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो अनुबंध के मूल्य तक वित्तीय शोधन क्षमता की पुष्टि करता है।

(v) प पर्याप्त मोटाई के धात्विक शरीर वाले पूरी तरह से ढके हुए धातु कंटेनर ट्रकों/वाहनों की न्यूनतम पच्चीस (25) संख्या, अधिमानतः सुरक्षित छेड़छाड़ रोधी डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/छेड़छाड़ प्रूफ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), यात्री और कार्गो डिब्बे के लिए सीसीटीवी सक्षम, हूटर और अग्निशामक यंत्र के साथ वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली। ठेकेदार को सिक्कों/बैंकनोटों को धातु के कंटेनरों में अपने द्वारा प्रस्तावित दरों पर करेंसी चेस्ट/छोटे सिक्का डिपो/भारत सरकार के टकसालों/भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य कार्यालयों/अन्य स्थानों पर ले जाना और वितरित करना होता है। सिक्कों का परिवहन बैंक के कर्मचारियों और राज्य पुलिस एस्कॉर्ट के साथ और अपने जोखिम पर निष्पादित किया जाएगा। सिक्का प्रेषण के साथ ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सशस्त्र गार्ड भी होने चाहिए। बैंक नोटों के परिवहन को बैंक स्टाफ (पोतदार) और राज्य पुलिस एस्कॉर्ट की संगत के साथ निष्पादित किया जाएगा, दोनों बैंक द्वारा व्यवस्थित और समन्वित किए जाएंगे।

vi. निविदाकर्ता के पास कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लागू स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन संख्या होगी।

vii. सफल संविदा प्रदान किए जाने के मामले में, निविदाकर्ता के पास संविदा के निष्पादन के लिए बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय

के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होगा।

viii. निविदाकर्ता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक खाता बनाए रखेगा। बैंक का नाम और बनाए गए खाते की प्रकृति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

नोट: निविदाकर्ता आवश्यक योग्यता/पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

प्रारंभ/नवीनीकरण:

i. निविदा (निविदाओं) की स्वीकृति के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता अनुबंध को निष्पादित करने और कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होंगे। सफल निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज की शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

ii. संविदा दो साल (यानी 01 अप्रैल 2026 - 31 मार्च 2028) के लिए वैध होगा, जिसे बैंक द्वारा अपनी राय से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन। इसके बाद उक्त सेवा के लिए नई निविदा के लिए नई बोली लगाई जा सकती है।

iii. जब संविदा की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो संविदा के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा संविदा की समाप्ति से तीन महीने पहले, संविदाकार बैंक को लिखित रूप में प्रदान करेगा कि क्या वह मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक और अवधि के लिए संविदा को नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।

iv.यदि 01 अप्रैल 2028 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए नए संविदा को किसी भी कारण से अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो संविदाकार को महाप्रबंधक, निर्गम विभाग द्वारा करार की समाप्ति की तारीख से तीन महीने तक की अवधि के लिए समान नियमों और शर्तों पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है।

बयाना जमा-राशि:

निविदा में निर्दिष्ट कार्य की कुल अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत का ईएमडी सभी बोलीदाताओं से अग्रिम रूप से एकत्र किया जाएगा।

कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी:

i निविदाकर्ता बैंक को कम से कम **₹25,00,00,000/- (मात्र पच्चीस करोड़ रुपये)** की राशि के लिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से एक अपरिवर्तनीय प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करेगा, जो बैंक के पक्ष में परिवहन किए जा रहे खजाने के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संविदा प्रदान करने की अधिसूचना जारी होने के

10 दिनों के भीतर संविदाकार द्वारा संविदात्मक दायित्वों की उचित पूर्ति के लिए संविदा जारी रहने की पूरी अवधि के लिए वैध संविदाकार से प्राप्त किया जाएगा। पीबीजी जमा करना निविदा में निर्धारित के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जमा करने में देरी के मामले में, पीबीजी जमा करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर संविदाकार के बिलों से वसूल किया जाएगा। पीबीजी की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

ii. कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) पूरे संविदा अवधि के लिए संविदा के उचित कार्य-निष्पादन के लिए भी बैंक को होने वाले या पीड़ित या पीड़ित होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के निमित्त होगा। यदि संविदा का नवीनीकरण किया जाता है, तो संविदाकार तदनुसार विस्तारित बैंक गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

iii. बैंक विप्रेषण की राशि के आधार पर बैंक गारंटी की राशि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और संविदाकार अतिरिक्त राशि की बैंक गारंटी प्रदान करेगा।

iv. संविदा की अवधि पूरी होने के 3 महीने बाद ही बैंक गारंटी बिना ब्याज के जारी की जाएगी, जब वे संविदा के सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने से संतुष्ट हो जाएंगे और किसी भी संबंधित एजेंसी या संविदाकार के कर्मचारियों से कोई देनदारी नहीं होगी।

<u>संविदाकार के कर्तव्य:</u>

वैधता अवधि पूरी होने तक संविदा को सफलतापूर्वक निष्पादित करना संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। यदि संविदाकार सौंपे गए कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसका पीबीजी लागू किया जाएगा। संविदाकार को अपनी ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति करनी होती है और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

अ) थैलों में पैक किए गए सिक्कों के परिवहन के लिए ठेकेदार के कर्तव्य:

i. संविदाकार, संविदा अवधि के दौरान हर समय, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, कोलकाता या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी (अधिकारियों) से लिखित या मौखिक मांग प्राप्त होने के 12 घंटे के भीतर, बैग में पैक किए गए सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा या बक्से में पैक किए गए करेंसी नोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा। इस तरह की मांग संविदाकार को टेलीफोन या मोबाइल फोन या ई-मेल या फैक्स आदि के माध्यम से वितरित की जा सकती है। सिक्का बैग के परिवहन के लिए निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले मौखिक रूप से या लिखित रूप में एक और नोटिस जारी करके बैंक द्वारा मांग नोटिस रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामले में, बैंक संविदाकार को पारिश्रमिक, मुआवजे आदि के माध्यम से कोई भुगतान नहीं करेगा।

ii. तत्काल मामलों में, महाप्रबंधक/प्रभारी, बैंक के निर्गम विभाग द्वारा प्रमाणित, बारह घंटे के नोटिस के बदले तीन घंटे के नोटिस के साथ मांग, बैंक द्वारा की जा सकती है और तदनुसार संविदाकार द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

iii. इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए सामान्य व्यावसायिक घंटों से परे काम करने की आवश्यकता हो या शनिवार और रविवार सहित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित एक दिन/दिन या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा क़ानून/प्रावधान की आवश्यकता हो।

iv. संविदाकार किसी भी परिस्थिति में, बैंक की खेप ले जाने वाले वाहनों में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित/संबंधित माल या किसी अन्य वस्तु का परिवहन नहीं करेगा।

v. सिक्के के बैग संविदाकार को उसके अपने जोखिम पर सौंपे जाएंगे, उसे उनके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करनी होगी। संविदाकार बैंक के परामर्श से अपनी लागत *पर सिक्कों के बीमा की व्यवस्था कर सकता* है।

vi. संविदाकार को आवश्यक मार्ग परमिट प्राप्त करने और अपने दम पर सभी प्रासंगिक करों का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

vii. संविदाकार किसी और को संविदा नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा संविदा के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक संविदा को रद्द कर सकता है और पीबीजी को लागू कर सकता है।

viii. वाहन के किसी भी प्रकार के खराब होने की स्थिति में, संविदाकार *10 घंटे के भीतर समान विशिष्टताओं के क्रेन / स्टैंड-बाय /* वैकल्पिक वाहन की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा ताकि खजाने के विप्रेषण में देरी न हो।

ix. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के पास संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण कागजात, परमिट, पीयूसी प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों को भुगतान किया गया कर, बीमा कवर आदि हैं और ट्रकों के चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। संविदाकार उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाण पत्र आदि की कमी के कारण बैंक द्वारा किए गए या भुगते गए किसी भी नुकसान, लागत, शुल्क और खर्चों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा ।

x. बैंक को किसी भी समय संविदाकार द्वारा कार्य के लिए तैनात वाहनों का निरीक्षण या निरीक्षण करने और किसी भी वाहन/उपकरण को असुरक्षित घोषित करने और परिचालन से तत्काल वापस लेने के लिए कहने का अधिकार होगा। संविदाकार इसका शीघ्र/तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

xi. बैंक का कार्य उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। सिक्कों की थैलों, बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि और बैंक के परिसर में मौजूद आम जनता या किसी अन्य व्यक्ति

को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरे कार्य/गतिविधियों को अंजाम दिया जाना चाहिए। निविदाकार को संविदाकार के साथ निकट समन्वय में काम करना होगा जो मजदूरों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा।

xii. संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए वाहन 10 वर्ष से कम पुराने होने चाहिए और सड़क पर चलने योग्य और अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इन वाहनों का स्वामित्व या तो संविदाकारों के स्वामित्व में होगा या पट्टे पर दिया जाएगा। पट्टे पर दिए गए वाहनों के मामले में, वाहनों का पट्टा संविदा के दौरान समाप्त नहीं होगा।

xiii. संविदाकार दुर्घटना, आग, चोरी, डकैती, खजाने की लूट, पारगमन में या किसी भी दोषपूर्ण वाहन द्वारा या किसी भी अक्षमता, संविदाकार के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की प्रतिपूर्ति बैंक को करेगा।

xiv. संविदाकार वाहनों के आवधिक रखरखाव रिकॉर्ड को बैंक को प्रस्तुत करेगा। संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी वाहन अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से लैस हों और चालक/क्लीनर आदि के उपयोग के लिए कम से कम तीन टॉर्च लाइटें हों।

xv. किसी भी समय वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए संविदाकार के पास संचार नेटवर्क होना चाहिए। ट्रकों की निरंतर ट्रैकिंग के लिए जीपीएस प्रदान किया जाना चाहिए।

xvi. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए धातु के कंटेनर ट्रक/बंद वाहनों में यात्री और मालवाहक दोनों डिब्बों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कवरेज होना चाहिए। सीसीटीवी कवरेज और उसका भंडारण इस प्रकार होना चाहिए कि दोनों डिब्बों और मालवाहक डिब्बों पर पर्याप्त कवरेज हो। किसी भी परीक्षण/जांच के लिए इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध होनी चाहिए। कंटेनर ट्रक उक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं, इस संबंध में अंतिम निर्णय बैंक का होगा।

xvii. संविदाकार के कंटेनरों में/से सिक्के की थैलियों की लोडिंग/ अनलोडिंग संविदाकार द्वारा डेस्टिनेशन करेंसी चेस्ट/बैंक के अन्य ऑफिस या बैंक द्वारा बताई गई दूसरी जगहों पर अपनी लागत पर की जाएगी।

xviii. बैंक या उसके अन्य कार्यालयों में लोडिंग अनलोडिंग आमतौर पर बैंक के कार्यालय समय के दौरान की जाएगी।

xix. संविदाकार सामान्य रूप से शाखाओं के कार्य घंटों के दौरान गंतव्य मुद्रा चेस्ट/एससीडी/आईजी टकसाल/अन्य निर्गम कार्यालयों में सिक्का बैग वितरित करने की व्यवस्था करेगा। हालांकि, सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए, चेस्ट ब्रांच में कंटेनर के आने के तुरंत बाद सिक्के के बैग की डिलीवरी की जाएगी।

xx. खजाना ले जाने वाले वाहन को सूर्यास्त के समय निकटतम पुलिस स्टेशन में पार्क किया जाएगा और रात के समय यात्रा नहीं की जानी चाहिए।

xxi. संविदाकार सिक्कों को वितरित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में गंतव्य मुद्रा संदूक से एक रसीद प्राप्त करेगा और बिल के निपटान के लिए बैंक को जमा करेगा।

xxii. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों के साथ बीमा किया गया है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। संपर्ककर्ता किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी अन्य चीज को किसी भी चोट या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

आ) बक्से में पैक किए गए बैंकनोटों के परिवहन के लिए ठेकेदार के कर्तव्य:

i. संविदाकार, संविदा अवधि के दौरान हर समय, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, कोलकाता या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी (अधिकारियों) से लिखित या मौखिक मांग प्राप्त होने के 12 घंटे के भीतर, बैग में पैक किए गए सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा या बक्से में पैक किए गए करेंसी नोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा। इस तरह की मांग संविदाकार को टेलीफोन या मोबाइल फोन या ई-मेल या फैक्स आदि के माध्यम से वितरित की जा सकती है। सिक्का बैग के परिवहन के लिए निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले मौखिक रूप से या लिखित रूप में एक और नोटिस जारी करके बैंक द्वारा मांग नोटिस रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामले में, बैंक संविदाकार को पारिश्रमिक, मुआवजे आदि के माध्यम से कोई भुगतान नहीं करेगा।

ii. तत्काल मामलों में, महाप्रबंधक/प्रभारी, बैंक के निर्गम विभाग द्वारा प्रमाणित, बारह घंटे के नोटिस के बदले तीन घंटे के नोटिस के साथ मांग, बैंक द्वारा की जा सकती है और तदनुसार संविदाकार द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

iii. इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए सामान्य व्यावसायिक घंटों से परे काम करने की आवश्यकता हो या शनिवार और रविवार सहित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित एक दिन/दिन या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा क़ानून/प्रावधान की आवश्यकता हो।

iv. संविदाकार किसी भी परिस्थिति में, बैंक की खेप ले जाने वाले वाहनों में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित/संबंधित माल या किसी अन्य वस्तु का परिवहन नहीं करेगा।

v. रेमिटेंस ले जाने वाले कंटेनर ट्रकों को सूर्यास्त के बाद रास्ते में सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड क्वार्टर या पुलिस अधिकारियों या बैंक द्वारा बताए गए किसी अन्य स्थान पर रुकने के लिए कहा जा सकता है।

vi. संविदाकार को आवश्यक मार्ग परमिट प्राप्त करने और अपने दम पर सभी प्रासंगिक करों का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

vii. संविदाकार किसी और को संविदा नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा संविदा के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक संविदा को रद्द कर सकता है और पीबीजी को लागू कर सकता है।

viii. वाहन के किसी भी प्रकार के खराब होने की स्थिति में, संविदाकार *10 घंटे के भीतर समान विशिष्टताओं के क्रेन / स्टैंड-बाय /* वैकल्पिक वाहन की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा ताकि खजाने के विप्रेषण में देरी न हो।

ix. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के पास संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण कागजात, परमिट, पीयूसी प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों को भुगतान किया गया कर, बीमा कवर आदि हैं और ट्रकों के चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। संविदाकार उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाण पत्र आदि की कमी के कारण बैंक द्वारा किए गए या भुगते गए किसी भी नुकसान, लागत, शुल्क और खर्चों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा ।

x. बैंक को किसी भी समय संविदाकार द्वारा कार्य के लिए तैनात वाहनों का निरीक्षण या निरीक्षण करने और किसी भी वाहन/उपकरण को असुरक्षित घोषित करने और परिचालन से तत्काल वापस लेने के लिए कहने का अधिकार होगा। संविदाकार इसका शीघ्र/तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

xi. बैंक का कार्य उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। सिक्कों की थैलों, बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि और बैंक के परिसर में मौजूद आम जनता या किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरे कार्य/गतिविधियों को अंजाम दिया जाना चाहिए। निविदाकार को संविदाकार के साथ निकट समन्वय में काम करना होगा जो मजदूरों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा।

xii. संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए वाहन 10 वर्ष से कम पुराने होने चाहिए और सड़क पर चलने योग्य और अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इन वाहनों का स्वामित्व या तो संविदाकारों के स्वामित्व में होगा या पट्टे पर दिया जाएगा। पट्टे पर दिए गए वाहनों के मामले में, वाहनों का पट्टा संविदा के दौरान समाप्त नहीं होगा।

xiii. संविदाकार दुर्घटना, आग, चोरी, डकैती, खजाने की लूट, पारगमन में या किसी भी दोषपूर्ण वाहन द्वारा या किसी भी अक्षमता, संविदाकार के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की प्रतिपूर्ति बैंक को करेगा।

xiv. संविदाकार धातु के कंटेनर के साथ-साथ एस्कॉर्ट वाहनों को अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइवर/क्लीनर आदि के उपयोग के लिए कम से कम तीन टॉर्च लाइट से लैस करेगा।

xv. संविदाकार बैंकों को वाहनों के आवधिक रखरखाव रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहन अग्निशामक यंत्र सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से लैस हों।

xvi. संविदाकार के पास किसी भी समय वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए संचार नेटवर्क होना चाहिए। ट्रक की निरंतर ट्रैकिंग के लिए जीपीएस लिंक प्रदान किया जाना चाहिए।

xvii. संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए धातु कंटेनर ट्रक/बंद वाहन हूटर के साथ वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली से लैस होंगे।

xviii. संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए धातु कंटेनर ट्रकों/बंद वाहनों में यात्री और कार्गो डिब्बे दोनों का हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कवरेज होगा। एस्कॉर्ट पार्टी कमांडर (पुलिस) और प्रतिनिधि (पोतदार) के साथ संचार बनाए रखा जाना चाहिए। सीसीटीवी कवरेज और इसका भंडारण इस तरह से होना चाहिए कि डिब्बों और खजाने दोनों पर पर्याप्त कवरेज हो। किसी भी परीक्षण/जांच के लिए उसी की रिकॉर्डिंग पुनर्प्राप्त की जानी चाहिए। कंटेनर ट्रक उक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं, इस बारे में अंतिम निर्णय बैंक का होगा।

xix. बैंक में लोडिंग अनलोडिंग आमतौर पर बैंक के कार्यालय समय के दौरान की जाएगी।

xx. संविदाकार सामान्य रूप से शाखाओं के कार्य घंटों के दौरान गंतव्य मुद्रा चेस्ट/एससीडी/आईजी टकसाल/अन्य निर्गम कार्यालयों में सिक्का बैग वितरित करने की व्यवस्था करेगा। हालांकि, सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए, चेस्ट ब्रांच में कंटेनर के आने के तुरंत बाद सिक्के के बैग की डिलीवरी की जाएगी।

xxi. संविदाकार नोटों के बॉक्स को वितरित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में गंतव्य मुद्रा संदूक से एक रसीद प्राप्त करेगा और बिल के निपटान के लिए बैंक को जमा करेगा।

xxii. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों के साथ बीमा किया गया है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। संपर्ककर्ता किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी अन्य चीज को किसी भी चोट या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

<u>भुगतान और कर:</u>

सभी प्रकार से पूर्ण प्रत्येक खेप के लिए बिल जमा करने के बाद मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

i. संविदाकार को इस समझौते की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित उक्त शुल्क निर्धारित हैं और पूरे अनुबंध अवधि के लिए किसी भी आधार पर नहीं बढ़ाए जा सकते हैं और संविदाकार द्वारा किसी भी अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जाएगा।

ii. संविदा मूल्य में सभी शामिल होंगे जिसमें निश्चित और परिचालन शुल्क शामिल होंगे और यह कार्य के दायरे, आपूर्ति

किए जा रहे वाहन पर आधारित होगा और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्य कामगारों के वेतन/वर्दी/भोजन/भत्ते आदि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) भुगतान, बोनस भुगतान, ग्रेच्युटी, बीमा और ओवरटाइम मजदूरी भी शामिल होगी। यदि कोई हो, तो कर (जीएसटी को छोड़कर) और शुल्क, पार्किंग शुल्क, टोल गेट शुल्क और अन्य सभी शुल्क।

iii. बैंक भुगतान के बाद लेखा परीक्षा या तकनीकी परीक्षा या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद पाए गए किसी भी अधिक भुगतान की वसूली को वसूलने/लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iv. संविदा की शर्तों के तहत संविदाकार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को संविदाकार को देय या देय होने वाली देय राशि से काट ली जाएगी। अंतिम उपाय के रूप में पीबीजी को लागू किया जा सकता है।

v. इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या इसके तहत कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

vi.दोनों पक्ष करों का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं जो समय-समय पर किसी भी पक्ष पर लागू होते हैं। भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू करों को स्रोत पर ही काटा जाएगा।

<u>अयोग्यता/समाप्ति/जुर्माना:</u>

i. निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से या उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने के लिए कोई भी प्रचार निविदा प्रक्रिया से अयोग्य हो जाएगा। ऐसे मामले में, निविदाकर्ता की निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी, इसके अलावा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा, जिसे तीन (3) वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो इस तरह की अयोग्यता तत्काल प्रभाव से होगी।

ii. संविदा को किसी भी कारण से दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा समाप्त किया जा सकता है, दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस दिया जा सकता है।

iii. वाहनों की आपूर्ति के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी मांग का अनुपालन करने में संविदाकार द्वारा किसी भी देरी या संविदा के निर्देशों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, महाप्रबंधक/प्रभारी-उप महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता द्वारा जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त गंभीर माना जाता है, पूर्वोक्त महाप्रबंधक/ प्रभारी-उप महाप्रबंधक क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के परामर्श से प्रत्येक घटना के लिए संविदाकार पर 10,000 रुपये (दस हजार रुपये मात्र) से अनधिक का जुर्माना लगा सकते हैं।

iv. बार-बार या निरंतर देरी के मामले में या इस करार के किसी भी प्रावधान के संविदाकार द्वारा किसी भी उल्लंघन के मामले में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन से महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग द्वारा लिखित में सूचना देकर तत्काल प्रभाव से संविदा को समाप्त कर सकता है, क्या इस तरह के विलंब के लिए पहले कोई दंड प्रदान किया गया है, या उल्लंघन किया गया है या नहीं।

v. संविदा की निरंतरता मुख्य रूप से संविदाकार के निष्पादन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर संविदा समाप्त कर दिया जाएगा।

vi. यदि संविदाकार लगातार 3 से अधिक अवसरों के लिए सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक को कोई नोटिस दिए बिना/दिए बिना संविदा को समाप्त करने का अधिकार है, चाहे जो भी कारण हो। ऐसे मामले में ट्रांसपोर्टर के पास मुआवजे का दावा करने की कोई शक्ति नहीं है।

vii. सभी मामलों में जहां संविदाकार को कुल संविदा मूल्य के पांच प्रतिशत का संचयी जुर्माना लगाया गया है, दो साल की प्रारंभिक अवधि से परे विस्तार पर विचार नहीं किया जा सकता है।

<u>क़ानून का अनुपालन:</u>

संविदाकार देश और संबंधित राज्य (राज्यों) में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा। संविदाकार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से क्षतिपूर्ति करेगा और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

i. बोलीदाता को श्रम, कराधान, कामगार सुरक्षा, बाल और महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बोलीदाता को उपयुक्त प्राधिकरणों के तहत पंजीकृत होना चाहिए अर्थात, जीएसटी प्राधिकरणों/आयकर/पैन/ईपीएफ/ईएसआई प्राधिकरणों/भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/श्रम लाइसेंस आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

ii.संविदाकार मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों और संबंधित राज्यों में लागू राज्यों के नियमों का पालन करेगा।

iii. संविदाकार अन्य सभी सांविधिक भुगतान करने के अलावा, केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अपने तैनात कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के भुगतान के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान, जो भी अधिक हो, जैसे सभी लागू सांविधिक भुगतान करेगा।

iv.कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी

भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/अथवा लाभांश और ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई लाभांश, जैसा भी लागू हो, दिया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के अभाव में, संविदाकार को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कर्मकार प्रतिकर बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए। कुल प्रीमियम संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा। संविदाकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होगा। किसी भी सांविधिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; संविदा को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसे बिल से काट लिया जाएगा।

v. संविदाकार प्रचलित क़ानून के अनुसार अद्यतन सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों को बनाए रखेगा और जब भी मांगे जाने पर प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

vi. संविदाकार तिमाही आधार पर बैंक द्वारा सत्यापन के लिए बैंक के काम के लिए सौंपे गए अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर के खिलाफ वेतन संवितरण विवरण प्रस्तुत करेगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर के तहत होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते में क्रेडिट किया जा सकता है और भुगतान का संकेत देने वाले बैंक स्टेटमेंट जमा किए जा सकते हैं।

vii. प्रधान नियोक्ता यानी बैंक ठेका श्रमिकों/श्रमिकों/कर्मचारियों को कोई रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि प्रधान नियोक्ता के रूप में बैंक द्वारा लागू किसी भी कानून के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करने में उसकी ओर से चूक या चूक के कारण संविदाकार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों/कर्मचारियों/कर्मचारियों को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी राशि बैंक द्वारा संविदाकार द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में संविदाकार से वसूल की जा सकती है।

viii. संविदाकार किसी भी मजदूर या संविदा के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनात अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर में अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, संविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और वह उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा। संविदाकार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित विषयों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ix. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ संविदाकार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

x. संविदाकार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा जिसे संविदाकार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि

संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

<u>गैर-प्रकटीकरण खंड:</u>

संविदाकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने के दौरान संविदाकार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। संविदाकार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। संविदाकार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए संविदाकार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को संविदाकार की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट है। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में संविदाकार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

<u>कामगार सुरक्षा और बीमा:</u>

i. संविदाकार अकेले ही अपने कर्मियों की सुरक्षा और बीमा या जीवन बीमा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जो संचालन और रखरखाव कार्यों पर काम कर रहे हैं।

ii. संविदाकार अपनी लागत पर लेकिन बैंक द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर, जोखिमों के खिलाफ बीमा, और कवरेज के लिए, जैसा कि संविदा में निर्दिष्ट किया जाएगा, बाहर निकालेगा और बनाए रखेगा।

iii. संविदाकार पर्याप्त सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि प्रदान करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उनके श्रमिकों द्वारा काम करते समय उपयोग किया जा रहा है।

iv. बैंक अपने कर्तव्यों का निष्पादन/निर्वहन करते समय/निरीक्षण के लिए या अन्यथा किसी जनशक्ति के कारण हुई किसी घातक चोट/मृत्यु के मामले में किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

v. उद्धृत दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी - जहां सेवा की जाती है और इसमें सभी सांविधिक दायित्व शामिल होंगे।

vi. संविदाकार संविदा के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मियों के संबंध में देय सभी प्रकार के देय के लिए उत्तरदायी होगा

और बैंक कर्मियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी बकाया राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

vii. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशीली दवाओं के आदी नहीं हैं और बैंक के हित के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। संविदाकार अपने द्वारा तैनात सभी जनशक्ति के लिए पुलिस सत्यापन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा और संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिनियुक्त जनशक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए।

<u>विवाद समाधान तंत्र और मध्यस्थता:</u>

i. यदि अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में बैंक और संविदाकार/प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियों को उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, सद्भावना के साथ, आपसी चर्चा के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिस दिन कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए नोटिस देता है।

ii.यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो रहा है, तो विवाद को संदर्भित किया जाएगा और अंत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से हल किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा और संविदा पर लागू होगा.

<u>संविदा-पूर्व अखंडता संधि प्रस्तुत करना</u>

बोलीदाताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अखंडता संधि (आईपी) निष्पादित करनी होगी। सिर्फ आईपी पर हस्ताक्षर करने वाले बोलीदाता ही भाग लेने के पात्र होंगे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आईपी को उनके द्वारा 100 रुपये के बांड पेपर पर इस निविदा के अनुलग्नक V में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है और यह संविदा का अभिन्न अंग होगा और इसके बाद, संविदा की अवधि और संविदा के विस्तार, यदि कोई हो, के लिए मान्य होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने निविदा प्रक्रिया में निम्नलिखित स्वतंत्र बाहरी निगरानी (आईईएम) नियुक्त किए हैं:

श्री नागेश्वर राव कोरिपल्ली, आईआरएस (सेवानिवृत्त)

ईमेल: knageshwarrao@gmail.com

श्री प्रमोद श्रीपद फालनीकर, आईपीएस (सेवानिवृत्त)

ईमेल: pramodphalnikar@gmail.com

*कृपया ध्यान दें कि इस संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा करार करना प्रारंभिक योग्यता होगी और इस करार को निविदा के भाग-I के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि कोई निविदा बोलियां संविदाकार द्वारा 100 रुपये के बांड पेपर पर विधिवत हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा करार के बिना प्रस्तुत की जाती हैं, तो इसकी निविदा बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और निविदाकर्ता अयोग्य हो जाएगा।

<u>निविदाओं की संवीक्षा/मूल्यांकन:</u>

i. दो भागों वाली निविदाएं निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। **भाग I** में कार्य का दायरा और वाणिज्यिक स्थितियां **शामिल हैं, जिन्हें** ऑनलाइन बोली पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें शामिल हैं:

अ. एनईएफटी या बैंक गारंटी के रूप में बयाना जमा राशि केवल ₹ 52.08 लाख /- (बावन लाख आठ हजार रुपये मात्र) के लिए। इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

आ. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार

इ. निविदा के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेज।

ई. जिसमें यह वचन दिया गया हो कि निविदाकर्ता किसी बैंक/वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूककर्ता नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

उ. किसी भी मूल्य को इंगित किए बिना मूल्य विभाजन अनुसूची के अनुसार सभी घटकों को सूचीबद्ध करने के लिए नकाबपोश सांकेतिक मूल्य बोली।

ऊ. कोई अन्य जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है।

ii. भाग II में **इलेक्ट्रॉनिक** रूप से प्रस्तुत की जाने वाली निविदा की मूल्य बोली शामिल है, जिसमें मूल्य का विस्तृत विवरण (ब्रेकअप के लिए प्रारूप दिया गया है) दोनों आंकड़ों और शब्दों में शामिल है। भाग II में किसी अन्य अनुलग्नक की अनुमति नहीं है। निविदा के भाग II में पाए गए नियम और शर्तों और विचलन, यदि कोई हो, में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा। उद्धृत दरों को समाप्त कार्य के लिए माना जाएगा और बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होगा। उद्धृत दरों में सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), उपकर या शुल्क, लागू अन्य शुल्क, यदि कोई हो, शामिल होना चाहिए।

iii. निविदा का भाग I निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो उपस्थित होना चाहते हैं।

iv. निविदाओं की पहले यह निर्धारित करने के लिए जांच की जाएगी कि क्या वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित आवश्यक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करते हैं, जो निविदाएं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें अनुत्तरदायी और अनदेखा माना जाता है।

v. सिर्फ उन निविदाकर्ताओं में से सिर्फ उन्हीं निविदाकारों की मूल्य बोली (भाग II) जो निविदाओं के भाग-I की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं, उन्हें बाद के कार्य दिवस या बैंक द्वारा सूचित किसी अन्य भविष्य की तारीख को खोला जाएगा।

vi. बैंक उन निविदाकर्ताओं को ठेका देगा जिनकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होने के लिए निर्धारित की गई है और जिन्होंने L1 आने के लिए अनुबंध के सभी घटकों के मूल्यों को ध्यान में

रखते हुए अनुमानित बोली मूल्य की पेशकश की है।

vii. निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में पहले से शामिल नियमों और शर्तों के आधार पर किया जाएगा, जिसके आधार पर निविदाएं प्राप्त हुई हैं और निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी निविदाओं में उल्लिखित शर्तें, शर्तें आदि। निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करते समय कोई नई शर्त नहीं लाई जाएगी।

vii. कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक सबसे कम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं करने के लिए स्वतंत्र होगा और निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए के।

viii. कार्य को वर्ष के दौरान कवर किए गए किलोमीटर के आधार पर वितरित किया जा सकता है। कार्य का विभाजन निम्नानुसार होगा:

अ. एक से अधिक L1 बोलीदाता होने की स्थिति में, पूरे कार्य को L1 बोलीदाताओं के बीच समान रूप से वितरित किया जा सकता है (50:50), (33.3:33.3:33.3)) आदि।

आ. अन्यथा, पूरे कार्य को L1 और L2 के बीच 60:40 (लगभग) के अनुपात में विभाजित किया जा सकता है, बशर्ते कि L2 बोलीदाता L1 बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित और स्वीकार की गई दरों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो। यह L1 बोलीदाता की आपूर्ति क्षमता पर किसी भी पूर्वाग्रह के बिना है और सिर्फ एक संविदाकार पर पूर्ण निर्भरता को कम करने के लिए है।

इ. यदि L2 बोलीदाता L1 दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं है तो उस क्रम में L3, L4 आदि बोलीदाता को शेष 40% कार्य देने के लिए L1 दर का मिलान करने का अवसर दिया जाएगा

ई. यदि L2, L3, L4 आदि, L1 की प्रस्तावित दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं हैं, तो शेष अनुमानित कार्य (40%) भी L1 बोलीदाता को प्रदान किया जा सकता है।

खंड - IV
निविदा प्रपत्र

<table>
<tr><td>i.</td><td>निविदाकर्ता का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>ii</td><td>क्या निविदाकर्ता एक व्यक्ति/कंपनी/साझेदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)/मालिकाना है चिंता)</td><td></td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>व्यक्ति/स्वामित्व के मामले में जन्म तिथि</td><td></td></tr>
<tr><td>iv</td><td>साझेदारी/एलएलपी/कंपनी के गठन/निगमन की तिथि। (स्व-सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य जैसे ज्ञापन/एसोसिएशन के लेख, साझेदारी विलेख आदि प्रस्तुत करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>v</td><td>संगठन के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम (दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>vi.</td><td>पता (पते का प्रमाण जैसे टेलीफोन बिल, बिजली बिल, मोबाइल बिल, आदि)</td><td></td></tr>
<tr><td>vii.</td><td>टेलीफोन/मोबाइल नंबर</td><td><table><tr><td>ऑफिस</td><td>आवास</td><td>मोबाइल</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>viii</td><td>ईमेल</td><td></td></tr>
<tr><td>ix</td><td>पैन नंबर</td><td></td></tr>
<tr><td>x.</td><td>दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जीएसटीआईएन</td><td></td></tr>
<tr><td>xi.</td><td>कारोबार का संक्षिप्त विवरण</td><td></td></tr>
</table>

xii.	वेबसाइट, यदि कोई हो	
xiii.	अधिकृत व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी) जो करेगा संविदा निष्पादित करें	
xiv.	क्या राष्ट्रीय परमिट धारण करना - यदि हां, तो दस्तावेजी साक्ष्य की स्व-सत्यापित प्रति जमा करें	
xv.	इसी तरह के कारोबार में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक कारोबार लाख रुपये में: (पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करें)	2024-2025: (मूल्यांकन वर्ष 2025-2026) 2023-2024: (मूल्यांकन वर्ष 2024-2025) 2022-2023: (मूल्यांकन वर्ष 2023-2024)

1. बैंक खाते का विवरण

1.	बैंक का नाम	
2.	बैंक शाखा का पता, आईएफएससी कोड	
3.	बैंक खाते का प्रकार और खाता संख्या	
4.	चूक का विवरण, यदि कोई हो	

2. ईएमडी का विवरण

राशि रु._____ एनईएफटी यूटीआर नंबर _____

तारीख_____

बैंक शाखा के नाम से जारी किया गया/पता_____

अनुलग्नक - 1 के साथ आरबीआई को ईएमडी जमा करने की तिथि: _____

3. क्या मजदूरों/पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित और प्रमाणित हैं? - हाँ/नहीं

4. (क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग द्वारा निविदाकर्ता को कभी काली सूची में डाला गया है? - हाँ/नहीं

   (यदि फर्म या उसके निदेशकों को आरबीआई द्वारा आवेदन करने या काली सूची में डालने से रोक दिया गया है या किसी आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है)।

   (ख) क्या फर्म या उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित है? -हां / नहीं

   यदि हाँ, तो विवरण दें (एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)

मैं भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित निबंधन और शर्तों से सहमत हूं।

दिनांक:_____

_____
आवेदक के हस्ताक्षर

नाम (_____)

(फर्म/कंपनी के रबर स्टैम्प/सील के साथ)

<u>निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण (एमएसटीसी लिमिटेड के पोर्टल पर भरना, हस्ताक्षरित और अपलोड किया जाना है)</u>

अनुसूची ए

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची देखें

क्र.सं.	**या क़िस्म**	**बोलीदाता की पुष्टि**
1.	विधिवत हस्ताक्षरित निविदा भाग- I (खंड I से IV) और भाग- II	
2.	विधिवत भरी गई अनुसूची ए, बी, सी, डी, ई और एफ	
3.	भुगतान किए गए ईएमडी के दस्तावेजी साक्ष्य	
4.	पैन की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी (अनिवार्य) और टैन (यदि लागू हो)	
5.	जीएसटी की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी पंजीकरण	
6.	बैंक स्टेटमेंट/स्व-सत्यापित फोटोकॉपी पासबुक का फ्रंट पेज	
7.	पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी	
8.	अनुलग्नक-III	
9.	क्या आवेदक का कोई रिश्तेदार रिज़र्व बैंक में कार्यरत है/है या नहीं? भारत?	हाँ/नहीं
10.	पिछले 3 वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण	
11.	ग्राहक प्रमाण पत्र	
12.	बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र के अनुसार सकारात्मक निवल मूल्य दर्शाता है नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट।	
13.	फर्म के गठन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज जिसमें मालिक/भागीदारों/निदेशकों का विवरण शामिल है, जैसा भी मामला हो।	

14.	निगमन के प्रमाणन की प्रति / कंपनी के पंजीकरण का प्रमाणन।	
15.	जिसमें यह वचन दिया गया हो कि निविदाकर्ता किसी बैंक/वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूकता नहीं करता है और कोई आपराधिक मामला नहीं है कंपनी/व्यक्ति के खिलाफ।	
16.	कोलकाता के महानगरीय क्षेत्र के भीतर कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का विवरण प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ।	
17.	पिछले एक वर्ष के बैंक स्टेटमेंट।	
18.	बैंकर के रद्द किए गए चेक की प्रति।	
19.	लाइसेंस संख्या की प्रति (धारा 12 (1) के तहत (क) क्या यह सच है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन अधिनियम, 1970) के अंतर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन अधिनियम, 1970) के अंतर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन अधिनियम, 1970	
20.	संविदा-पूर्व अखंडता समझौते की प्रति (अनुलग्नक V)	

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

नोट: उपरोक्त सभी दस्तावेजों को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से बोलियां जमा करते समय तकनीकी बोली के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी प्रस्तुत न करने की स्थिति में, निविदा को बैंक के विवेकाधिकार पर भाग-I में अयोग्य माना जाएगा।

अनुसूची बी

संगठनात्मक विवरण

निविदाकर्ता का नाम				
चाहे व्यक्तिगत स्वामित्व, साझेदारी या सीमित कंपनी हो				
साझेदारी के गठन की तिथि / लिमिटेड कंपनी				
डाक का पता	स्थानीय पता		स्थायी/पंजीकृत कार्यालय का पता	
पिन कोड				
टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ)	ऑफिस	आवास	फैक्स	मोबाइल
ई-मेल				

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची सी

पंजीकरण विवरण

क्र. सं.	पंजीकरण का प्रकार	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण की तिथि
1	आयकर – पैन		
2	आयकर – टैन (टीडीएस के लिए)		
3	जीएसटी नंबर		
4	दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम		
5	पीएफ/ईपीएफ		
6	किसी अन्य प्रकार का पंजीकरण		
7	क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन*) केंद्रीय नियम, 1971 और किसी अन्य कानूनी प्रावधान के प्रावधान आपकी फर्म पर लागू होते हैं?		
8	क्या आपके पास ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम 1970/71 की धारा 12 (1) के तहत लाइसेंस है, यदि हां, तो लाइसेंस संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। (संलग्न किए जाने वाले लाइसेंस की एक प्रति)		
9	ईएसआईसी पंजीकरण विवरण		

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हमने उपरोक्त शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची डी

वाहन विवरण

(अ) निविदाकर्ता के स्वामित्व वाले बंद धातु बॉडी कंटेनर/पूरी तरह से ढके हुए बंद कैश वैन/बंद वाहनों/बंद धातु के बंद कंटेनरों का विवरण

(कृपया आरसी पुस्तकों की फोटो कॉपी और अधिकारियों के साथ रोड टैक्स के भुगतान की नवीनतम रसीद के साथ-साथ वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें)

क्रम संख्या.	मेक/मॉडल (वर्ष)	क्षमता (टन में)	पंजीकरण संख्या	क्या बंद वाहन पूरी तरह से ढका हुआ है और उसकी बॉडी मैटेलिक बॉडी है	क्या बंद वाहन है			आरटीओ द्वारा जारी फिटनेस प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि ई	राष्ट्रीय परमिट	
					जी पीएस	डब्ल्यूएमसीएस (*) और हूटर	सीसीटी वी		सं.	समाप्ति की तिथि

* - वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली

(आ) संविदाकार के पास उपलब्ध अन्य पक्षकारों के कंटेनर उनके आश्वासन पत्र या समझौते के पत्र, यदि कोई हो, के साथ।

क्रम सं.	मेक/मॉडल (वर्ष)	क्षमता (टन में)	रजिस्ट्रेशन संख्या	क्या बंद वाहन पूरी तरह से ढका हुआ है और उसकी बॉडी मैटेलिक बॉडी है	क्या बंद वाहन है			आरटीओ द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति तिथि	राष्ट्रीय परमिट	
					जी पीएस	डब्ल्यूएमसीएस (*) और हूटर	सीसीटीवी		सं.	समाप्ति की तिथि

* - वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची ई

ग्राहकों की सूची

(जिनके लिए पिछले 5 वर्षों में इसी तरह का काम किया गया)

क्रम संख्या	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1.	नाम			
2.	पता			
3.	ईमेल आईडी			
4.	संपर्क नंबर			
5.	कार्य का संक्षिप्त विवरण			
6.	संविदा देने की तिथि			
7.	ग्राहक से प्रमाणपत्र			

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुसूची एफ

बैंकरों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	विवरण
1.	पता	
2.	संपर्क व्यक्ति	
3.	ईमेल आईडी	
4.	टेलीफ़ोन नंबर	
5.	फैक्स नंबर	

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

अनुलग्नक-I

ई-भुगतान करने के लिए एनईएफटी विवरण

संस्थान का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता पता (पूर्ण में): 15, नेताजी सुभाष रोड, आरबीआई कोलकाता

1	खाताधारक का नाम (जैसा कि बैंक खाते में दिखाई दे रहा है)	भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता
2	खाता संख्या	186003001
3	खाते का प्रकार (बचत, वर्तमान आदि)	वर्तमान
4	पैन नंबर	एएआईएफआर 5286एम
5	बैंक का नाम	आरबीआई, कोलकाता
6	शाखा का नाम	आरबीआई, कोलकाता
7	बैंक का पता	आरबीआई, कोलकाता
8	एनईएफटी/आईएफएस कोड	RBIS0KLPA01 (कोड में 0 शून्य का प्रतिनिधित्व करता है)
9	खाते का नाम	आरबीआई, एनईएफटी, आवक प्राप्त
10	जीएसटीआईएन	**19AAIFR5286M1ZD**

अनुलग्नक-II

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय
कोलकाता-700001

प्रिय महोदय

कार्य का नाम: बक्से में पैक किए गए बैंक नोटों और / या बैग में पैक किए गए सिक्कों (वाहक के जोखिम वाले सिक्के) में पैक किए गए बैंक नोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रकों / वाहनों की आपूर्ति

हम.....(बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) एतद द्वारा श्री/सुश्री .... (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता) को बनाते, नियुक्ति और प्राधिकृत करते हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और हमारे वकील के रूप में, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, ऐसे सभी कार्यों, कर्मों और चीजों को करने के लिए जो कैप्शन वाली परियोजना के लिए हमारी बोली के संबंध में या उसके आकस्मिक हैं, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और जमा करना और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को जानकारी/प्रतिक्रिया प्रदान करना शामिल है, जो आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करता है, और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई के साथ काम करने के लिए

..... का पद धारण करते हैं।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार हमारे उक्त वकील द्वारा कानूनी रूप से किए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह कि हमारे उपरोक्त वकील द्वारा किए गए सभी कार्य, कार्य और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी और हमेशा हमारे द्वारा की गई हैं।

श्री/सुश्री.....के हस्ताक्षर नीचे सत्यापित है:
बोलीदाता (ओं) के नाम का हस्ताक्षर
बोलीदाता की स्टाम्प/मुहर
नोट: पावर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से मुहर लगाई जानी चाहिए और संविदाकार द्वारा प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी को नोटरीकृत किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक-'III'

भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा उपक्रम / घोषणा / प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत सील और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोलकाता

कार्य का नाम: बक्से में पैक किए गए बैंक नोटों और / या बैग में पैक किए गए सिक्कों (वाहक के जोखिम वाले सिक्के) में पैक किए गए बैंक नोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढके हुए कंटेनर ट्रकों / वाहनों की आपूर्ति

मैं/हम _____(नाम और पता, बोलीदाता के स्थान के देश सहित) ने 23 जुलाई, 2020 को कार्यालय ज्ञापन (ओएम) F.No 6/18/2019-पीपीडी और सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों को भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में पढ़ा और समझा है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि _____(बोलीदाता का नाम)

I. क्या भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
II. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
III. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण की सुविधा प्रदान की है, या
IV. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, उसे काट दें)

3. मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि उन अनुबंधों के मामले में भी जहां हमें बैंक/आरबीआई द्वारा उप-अनुबंध करने की अनुमति दी जाती है। (बोलीदाता का नाम) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के संविदाकार को किसी भी कार्य का उप-अनुबंध नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा संविदाकार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
4. मैं/हम जानते हैं और समझते हैं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचन / घोषणा / प्रमाणन / प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को अस्वीकार करने/समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार किसी भी कानूनी कार्रवाई को शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना जमा-राशि / कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा को जब्त करना और/या हमें भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करना शामिल है।

मुहर के साथ बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक-IV

01.04.2026 से 31.03.2028 तक सिक्कों और बैंक नोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढकी हुई धातु बंद कैश वैन/बंद वाहनों की आपूर्ति के लिए मसौदा करार

(हस्ताक्षर के समय अंतिम रूप दिया जाना है)

यह करार _____2026 को कोलकाता में किया गया और यह 01 अप्रैल 2026 से एक पक्षकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित एक कॉर्पोरेट निकाय और जिसका कार्यालय 15, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 (इसके बाद "भारतीय रिज़र्व बैंक"/"बैंक" के रूप में संदर्भित) में है, जो अपने महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक के माध्यम से कार्य कर रहा है, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक" के रूप में संदर्भित) जो अभिव्यक्ति में कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे)

और

दूसरे पक्षकार, इसके बाद "संविदाकार" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो अभिव्यक्ति में उसके कानूनी उत्तराधिकारियों, प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों) शामिल होंगे। यद्यपि, संविदाकार ने सिक्कों/बैंक नोटों की धातु के कंटेनर में पश्चिम बंगाल, सिक्किम या भारत के किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित करेंसी चेस्ट/छोटे सिक्के डिपो, भारत सरकार के टकसाल कोलकाता और अन्य निर्गम कार्यालयों में परिवहन और वितरण के लिए दर कोट किया है। तथापि,

सिक्कों के लिए:

इसे बैंक के स्टाफ और राज्य पुलिस एस्कॉर्ट के बिना, और सिक्के बैगों/बोरियों के परिवहन के मामले में संविदाकार के अपने जोखिम पर।

बैंकनोटों के लिए:

नोटबॉक्स के परिवहन के लिए बैंक के स्टाफ और राज्य पुलिस एस्कॉर्ट के साथ।

और, जबकि क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, कोलकाता ने ऐसी दरों को स्वीकार कर लिया है और इस करार को करने के लिए पक्षकारों द्वारा और उनके बीच सहमति व्यक्त की गई है।

अब यह पारस्परिक रूप से सहमत है और इस प्रकार घोषित किया गया है:

1.

i. यह करार 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक दो साल की अवधि के लिए प्रभावी और वैध है।

करार को बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए, नियम और शर्तों में किसी भी परिवर्तन के साथ/बिना बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि संविदात्मक नियमों और शर्तों का संतोषजनक प्रदर्शन हो।

ii. जब संविदा की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो संविदा के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा संविदा की समाप्ति से तीन महीने पहले, संविदाकार बैंक को लिखित रूप में प्रदान करेगा कि क्या वह मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक और अवधि के लिए अनुबंध को नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।

iii. यदि 1 अप्रैल 2028 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए नए संविदा को किसी भी कारण से अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो संविदाकार को इस समझौते की समाप्ति की तारीख से तीन महीने तक की अवधि के लिए समान नियमों और शर्तों पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है।

iv. यह करार/संविदा दर संविदा के स्वरूप में होता है । बैंक अनुबंध के तहत न तो किसी विशिष्ट मात्रा में नौकरी का वादा करता है और न ही आश्वासन देता है।

2.

i. बैंक नोटों/सिक्कों के प्रेषण के लिए, ठेकेदार बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम 3 एमटी क्षमता के 25 पूरी तरह से ढके हुए धातु बंद कंटेनर ट्रकों/वैन/वाहनों की न्यूनतम संख्या उपलब्ध कराएगा, जिसमें पर्याप्त मोटाई की धातु बॉडी होगी, अधिमानतः ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के साथ सक्षम सुरक्षित छेड़छाड़ रोधी डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/छेड़छाड़ प्रूफ, सीसीटीवी और हूटर। आरटीओ द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठेकेदार निम्नलिखित के परिवहन और वितरण का दायित्व उठाएगा:

a. भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता द्वारा निर्दिष्ट करेंसी चेस्ट/छोटे सिक्कों के डिपो/भारत सरकार के टकसाल/अन्य निर्गम कार्यालयों/अंतर-राज्यीय करेंसी चेस्ट/अन्य स्थानों पर ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरों पर और उसके बिना बैंक के कर्मचारियों और राज्य पुलिस एस्कॉर्ट के साथ और अपने स्वयं के जोखिम पर सिक्के। सिक्का प्रेषण के साथ ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सशस्त्र गार्ड भी होने चाहिए।

b. औसत आकार के 30 नोट बक्सों की न्यूनतम भंडारण क्षमता वाले धातु के कंटेनरों में बैंक नोट,

ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरों पर लगभग 120 किलोग्राम वजन के लगभग 63x33x72 सेमी और बैंक स्टाफ (पोतदार) और राज्य पुलिस एस्कॉर्ट की संगत के साथ, बैंक द्वारा व्यवस्थित और समन्वित दोनों हैं।

ii. संविदाकार (ओं) के लिए इस संविदा के तहत दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए बैंक को कम से कम ₹25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये मात्र) की राशि के लिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से एक अपरिवर्तनीय कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करेगा। यह गारंटी संविदाकार के जोखिम के तहत परिवहन किए गए सिक्कों के मूल्य और बैंक नोटों के परिवहन से संबंधित सभी संविदात्मक दायित्वों की उचित पूर्ति को कवर करेगी। पीबीजी को दो साल की पूरी अनुबंध अवधि के लिए वैध रहना चाहिए, जिससे अवधि के दौरान बार-बार जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

iii. कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) पूरी संविदा अवधि के लिए संविदा के उचित निष्पादन के लिए होगी और बैंक को होने वाली या होने वाली किसी भी हानि या क्षति के खिलाफ भी होगी। यदि संविदा का नवीनीकरण किया जाता है, तो संविदाकार तदनुसार विस्तारित बैंक गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।

iv. बैंक विप्रेषण की राशि के आधार पर बैंक गारंटी की राशि में वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और संविदाकार अतिरिक्त राशि की बैंक गारंटी प्रदान करेगा।

v. बैंक गारंटी पूरी राशि या उसके हिस्से की वसूली के लिए उत्तरदायी होगी, जैसा कि महाप्रबंधक, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता द्वारा क्षेत्रीय निदेशक/जीएम (प्रभारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के अनुमोदन से बैंक द्वारा निर्धारित हानि या क्षति की सीमा पर निर्भर करता है।

vi. संविदा की अवधि पूरी होने के 3 महीने के बाद बैंक गारंटी बिना ब्याज के जारी की जाएगी, जब वे संविदा के सफल समापन से संतुष्ट हो जाएंगे और किसी भी संबंधित एजेंसी या ठेकेदारों के कर्मचारियों से कोई देनदारी नहीं होगी।

3. **<u>संविदाकार के कर्तव्य:</u>**

वैधता अवधि पूरी होने तक संविदा को सफलतापूर्वक निष्पादित करना संविदाकार की जिम्मेदारी होगी। यदि संविदाकार सौंपे गए कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसका पीबीजी लागू किया जाएगा। संविदाकार को अपनी ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति करनी होती है और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

अ) थैलों में पैक किए गए सिक्कों के परिवहन के लिए ठेकेदार के कर्तव्य:

i. संविदाकार, संविदा अवधि के दौरान हर समय, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, कोलकाता या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी (अधिकारियों) से लिखित या मौखिक मांग प्राप्त होने के 12 घंटे के भीतर, बैग में पैक किए गए सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा या बक्से में पैक किए गए करेंसी नोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा। इस तरह की मांग संविदाकार को टेलीफोन या मोबाइल फोन या ई-मेल या फैक्स आदि के माध्यम से वितरित की जा सकती है। सिक्का बैग के परिवहन के लिए निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले मौखिक रूप से या लिखित रूप में एक और नोटिस जारी करके बैंक द्वारा मांग नोटिस रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामले में, बैंक संविदाकार को पारिश्रमिक, मुआवजे आदि के माध्यम से कोई भुगतान नहीं करेगा।

ii. तत्काल मामलों में, महाप्रबंधक/प्रभारी, बैंक के निर्गम विभाग द्वारा प्रमाणित, बारह घंटे के नोटिस के बदले तीन घंटे के नोटिस के साथ मांग, बैंक द्वारा की जा सकती है और तदनुसार संविदाकार द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

iii. इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए सामान्य व्यावसायिक घंटों से परे काम करने की आवश्यकता हो या शनिवार और रविवार सहित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित एक दिन/दिन या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा क़ानून/प्रावधान की आवश्यकता हो।

iv. संविदाकार किसी भी परिस्थिति में, बैंक की खेप ले जाने वाले वाहनों में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित/संबंधित माल या किसी अन्य वस्तु का परिवहन नहीं करेगा।

v. सिक्के के बैग संविदाकार को उसके अपने जोखिम पर सौंपे जाएंगे, उसे उनके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करनी होगी। संविदाकार बैंक के परामर्श से अपनी लागत *पर /सिक्कों के बीमा की व्यवस्था कर सकता* है।

vi. संविदाकार को आवश्यक मार्ग परमिट प्राप्त करने और अपने दम पर सभी प्रासंगिक करों का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

vii. संविदाकार किसी और को संविदा नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा संविदा के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक संविदा को रद्द कर सकता है और पीबीजी को लागू कर सकता है।

viii. वाहन के किसी भी प्रकार के खराब होने की स्थिति में, संविदाकार 10 घंटे के भीतर समान विशिष्टताओं के क्रेन / स्टैंड-बाय / वैकल्पिक वाहन की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा ताकि खजाने के विप्रेषण में देरी न हो।

ix. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के पास संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण कागजात, परमिट, पीयूसी प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों को भुगतान किया गया कर, बीमा कवर आदि हैं और ट्रकों के चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। संविदाकार उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाण पत्र आदि की कमी के कारण बैंक द्वारा किए गए या भुगते गए किसी भी नुकसान, लागत, शुल्क और खर्चों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा ।

x. बैंक को किसी भी समय संविदाकार द्वारा कार्य के लिए तैनात वाहनों का निरीक्षण या निरीक्षण करने और किसी भी वाहन/उपकरण को असुरक्षित घोषित करने और परिचालन से तत्काल वापस लेने के लिए कहने का अधिकार होगा। संविदाकार इसका शीघ्र/तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

xi. बैंक का कार्य उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। सिक्कों की थैलों, बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि और बैंक के परिसर में मौजूद आम जनता या किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरे कार्य/गतिविधियों को अंजाम दिया जाना चाहिए। निविदाकार को संविदाकार के साथ निकट समन्वय में काम करना होगा जो मजदूरों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा।

xii. संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए वाहन 10 वर्ष से कम पुराने होने चाहिए और सड़क पर चलने योग्य और अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इन वाहनों का स्वामित्व या तो संविदाकारों के स्वामित्व में होगा या पट्टे पर दिया जाएगा। पट्टे पर दिए गए वाहनों के मामले में, वाहनों का पट्टा संविदा के दौरान समाप्त नहीं होगा।

xiii. संविदाकार दुर्घटना, आग, चोरी, डकैती, खजाने की लूट, पारगमन में या किसी भी दोषपूर्ण वाहन द्वारा या किसी भी अक्षमता, संविदाकार के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की प्रतिपूर्ति बैंक को करेगा।

xiv. संविदाकार वाहनों के आवधिक रखरखाव रिकॉर्ड को बैंक को प्रस्तुत करेगा। संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी वाहन अग्निशामक यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से लैस हों और चालक/क्लीनर आदि के उपयोग के लिए कम से कम तीन टॉर्च लाइटें हों।

xv. किसी भी समय वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए संविदाकार के पास संचार नेटवर्क होना चाहिए। ट्रकों की निरंतर ट्रैकिंग के लिए जीपीएस प्रदान किया जाना चाहिए।

xvi. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराए गए धातु के कंटेनर ट्रक/बंद वाहनों में यात्री और मालवाहक दोनों डिब्बों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कवरेज होना चाहिए। सीसीटीवी कवरेज और उसका भंडारण इस प्रकार होना चाहिए कि दोनों डिब्बों और मालवाहक डिब्बों पर पर्याप्त कवरेज हो। किसी भी परीक्षण/जांच के लिए इसकी

रिकॉर्डिंग उपलब्ध होनी चाहिए। कंटेनर ट्रक उक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं, इस संबंध में अंतिम निर्णय बैंक का होगा।

xvii. संविदाकार के कंटेनरों में/से सिक्के की थैलियों की लोडिंग/ अनलोडिंग संविदाकार द्वारा डेस्टिनेशन करेंसी चेस्ट/बैंक के अन्य ऑफिस या बैंक द्वारा बताई गई दूसरी जगहों पर अपनी लागत पर की जाएगी।

xviii. बैंक या उसके अन्य कार्यालयों में लोडिंग अनलोडिंग आमतौर पर बैंक के कार्यालय समय के दौरान की जाएगी।

xix. संविदाकार सामान्य रूप से शाखाओं के कार्य घंटों के दौरान गंतव्य मुद्रा चेस्ट/एससीडी/आईजी टकसाल/अन्य निर्गम कार्यालयों में सिक्का बैग वितरित करने की व्यवस्था करेगा। हालांकि, सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए, चेस्ट ब्रांच में कंटेनर के आने के तुरंत बाद सिक्के के बैग की डिलीवरी की जाएगी।

xx. खजाना ले जाने वाले वाहन को सूर्यास्त के समय निकटतम पुलिस स्टेशन में पार्क किया जाएगा और रात के समय यात्रा नहीं की जानी चाहिए।

xxi. संविदाकार सिक्कों को वितरित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में गंतव्य मुद्रा संदूक से एक रसीद प्राप्त करेगा और बिल के निपटान के लिए बैंक को जमा करेगा।

xxii. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों के साथ बीमा किया गया है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। संपर्ककर्ता किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी अन्य चीज को किसी भी चोट या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

आ) बक्से में पैक किए गए बैंकनोटों के परिवहन के लिए ठेकेदार के कर्तव्य:

i. संविदाकार, संविदा अवधि के दौरान हर समय, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, कोलकाता या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी (अधिकारियों) से लिखित या मौखिक मांग प्राप्त होने के 12 घंटे के भीतर, बैग में पैक किए गए सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा या बक्से में पैक किए गए करेंसी नोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा। इस तरह की मांग संविदाकार को टेलीफोन या मोबाइल फोन या ई-मेल या फैक्स आदि के माध्यम से वितरित की जा सकती है। सिक्का बैग के परिवहन के लिए निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले मौखिक रूप से या लिखित रूप में एक और नोटिस जारी करके बैंक द्वारा मांग नोटिस रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामले में, बैंक

संविदाकार को पारिश्रमिक, मुआवजे आदि के माध्यम से कोई भुगतान नहीं करेगा।

ii. तत्काल मामलों में, महाप्रबंधक/प्रभारी, बैंक के निर्गम विभाग द्वारा प्रमाणित, बारह घंटे के नोटिस के बदले तीन घंटे के नोटिस के साथ मांग, बैंक द्वारा की जा सकती है और तदनुसार संविदाकार द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

iii. इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए सामान्य व्यावसायिक घंटों से परे काम करने की आवश्यकता हो या शनिवार और रविवार सहित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित एक दिन/दिन या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा क़ानून/प्रावधान की आवश्यकता हो।

iv. संविदाकार किसी भी परिस्थिति में, बैंक की खेप ले जाने वाले वाहनों में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित/संबंधित माल या किसी अन्य वस्तु का परिवहन नहीं करेगा।

v. रेमिटेंस ले जाने वाले कंटेनर ट्रकों को सूर्यास्त के बाद रास्ते में सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेड क्वार्टर या पुलिस अधिकारियों या बैंक द्वारा बताए गए किसी अन्य स्थान पर रुकने के लिए कहा जा सकता है।

vi. संविदाकार को आवश्यक मार्ग परमिट प्राप्त करने और अपने दम पर सभी प्रासंगिक करों का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

vii. संविदाकार किसी और को संविदा नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा संविदा के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक संविदा को रद्द कर सकता है और पीबीजी को लागू कर सकता है।

viii. वाहन के किसी भी प्रकार के खराब होने की स्थिति में, संविदाकार *10 घंटे के भीतर समान विशिष्टताओं के क्रेन/ स्टैंड-बाय/* वैकल्पिक वाहन की सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा ताकि खजाने के विप्रेषण में देरी न हो।

ix. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के पास संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण कागजात, परमिट, पीयूसी प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों को भुगतान किया गया कर, बीमा कवर आदि हैं और ट्रकों के चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। संविदाकार उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाण पत्र आदि की कमी के कारण बैंक द्वारा किए गए या भुगते गए किसी भी नुकसान, लागत, शुल्क और खर्चों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा ।

x. बैंक को किसी भी समय संविदाकार द्वारा कार्य के लिए तैनात वाहनों का निरीक्षण या निरीक्षण करने और किसी भी वाहन/उपकरण को असुरक्षित घोषित करने और परिचालन से तत्काल वापस लेने के लिए कहने का अधिकार होगा। संविदाकार इसका शीघ्र/तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

xi. बैंक का कार्य उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। सिक्कों की थैलों, बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि और बैंक के परिसर में मौजूद आम जनता या किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरे कार्य/गतिविधियों को अंजाम दिया जाना चाहिए। निविदाकार को संविदाकार के साथ निकट समन्वय में काम करना होगा जो मजदूरों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा।

xii. संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए वाहन 10 वर्ष से कम पुराने होने चाहिए और सड़क पर चलने योग्य और अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इन वाहनों का स्वामित्व या तो संविदाकारों के स्वामित्व में होगा या पट्टे पर दिया जाएगा। पट्टे पर दिए गए वाहनों के मामले में, वाहनों का पट्टा संविदा के दौरान समाप्त नहीं होगा।

xiii. संविदाकार दुर्घटना, आग, चोरी, डकैती, खजाने की लूट, पारगमन में या किसी भी दोषपूर्ण वाहन द्वारा या किसी भी अक्षमता, संविदाकार के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति की प्रतिपूर्ति बैंक को करेगा।

xiv. संविदाकार धातु के कंटेनर के साथ-साथ एस्कॉर्ट वाहनों को अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइवर/क्लीनर आदि के उपयोग के लिए कम से कम तीन टॉर्च लाइट से लैस करेगा।

xv. संविदाकार बैंकों को वाहनों के आवधिक रखरखाव रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहन अग्निशामक यंत्र सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से लैस हों।

xvi. संविदाकार के पास किसी भी समय वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए संचार नेटवर्क होना चाहिए। ट्रक की निरंतर ट्रैकिंग के लिए जीपीएस लिंक प्रदान किया जाना चाहिए।

xvii. संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए धातु कंटेनर ट्रक/बंद वाहन हूटर के साथ वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली से लैस होंगे।

xviii. संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए धातु कंटेनर ट्रकों/बंद वाहनों में यात्री और कार्गो डिब्बे दोनों का हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कवरेज होगा। एस्कॉर्ट पार्टी कमांडर (पुलिस) और प्रतिनिधि (पोतदार) के साथ संचार बनाए रखा जाना चाहिए। सीसीटीवी कवरेज और इसका भंडारण इस तरह से होना चाहिए कि डिब्बों और खजाने दोनों पर पर्याप्त कवरेज हो। किसी भी परीक्षण/जांच के लिए उसी की रिकॉर्डिंग पुनर्प्राप्त की जानी चाहिए।

कंटेनर ट्रक उक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं, इस बारे में अंतिम निर्णय बैंक का होगा।

xix. बैंक या उसके अन्य कार्यालयों में लोडिंग अनलोडिंग आमतौर पर बैंक के कार्यालय समय के दौरान की जाएगी।

xx. संविदाकार सामान्य रूप से शाखाओं के कार्य घंटों के दौरान गंतव्य मुद्रा चेस्ट/एससीडी/आईजी टकसाल/अन्य निर्गम कार्यालयों में सिक्का बैग वितरित करने की व्यवस्था करेगा। हालांकि, सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए, चेस्ट ब्रांच में कंटेनर के आने के तुरंत बाद सिक्के के बैग की डिलीवरी की जाएगी।

xxi. संविदाकार नोटों के बॉक्स को वितरित करने के लिए निर्धारित प्रारूप में गंतव्य मुद्रा संदूक से एक रसीद प्राप्त करेगा और बिल के निपटान के लिए बैंक को जमा करेगा।

xxii. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों के साथ बीमा किया गया है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। संपर्ककर्ता किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी अन्य चीज को किसी भी चोट या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

4. **<u>भुगतान और कर:</u>**

i. सभी प्रकार से पूर्ण प्रत्येक खेप के लिए बिल जमा करने के बाद मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा।

ii. संविदाकार को इस करार की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित उक्त शुल्क निर्धारित हैं और पूरे अनुबंध अवधि के लिए किसी भी आधार पर नहीं बढ़ाए जा सकते हैं और संविदाकार द्वारा किसी भी अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जाएगा।

iii. संविदा मूल्य में सभी शामिल होंगे जिसमें निश्चित और परिचालन शुल्क शामिल होंगे और कार्य के दायरे, आपूर्ति किए जा रहे वाहन के आधार पर और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्य बातों के साथ-साथ अन्य कामगारों के वेतन/वर्दी/भोजन/भत्ते आदि सहित ड्राइवर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) भुगतान, बोनस भुगतान, ग्रेच्युटी, बीमा और ओवरटाइम मजदूरी, यदि कोई हो, कर (जीएसटी को छोड़कर) और लेवी, पार्किंग शुल्क, टोल गेट शुल्क और अन्य सभी शुल्क।

iv. बैंक भुगतान के बाद लेखा परीक्षा या तकनीकी जांच या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद पाए गए किसी भी अधिक भुगतान की वसूली को वसूलने/लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

v. संविदा की शर्तों के तहत संविदाकार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बैंक गारंटी या अन्य देय या संविदाकार को देय होने वाली अन्य देय राशि से काट लिया जाएगा। पीबीजी को अंतिम उपाय के रूप में लागू किया जा सकता है।

vi. इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या इसके तहत कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और ऐसी देनदारियों के उत्पन्न होने की स्थिति में, क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय भी अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5. संविदाकार किसी भी चोरी, डकैती, पारगमन में या किसी दोषपूर्ण कंटेनर द्वारा या उनकी ओर से या उनके द्वारा लगे मजदूरों की ओर से बेईमानी या कपटपूर्ण आचरण के किसी भी कार्य के कारण बैंक को हुई किसी भी हानि या क्षति की प्रतिपूर्ति करेगा।

6. **<u>समाप्ति/जुर्माना:</u>**

i. किसी भी कारण से दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा संविदा समाप्त किया जा सकता है, दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस दिया जा सकता है।

ii. यदि संविदाकार द्वारा बैंक द्वारा वाहनों की आपूर्ति के लिए जारी किसी भी अनुरोध का पालन करने में कोई देरी होती है या अनुबंध के निर्देशों का कोई उल्लंघन होता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता के महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक द्वारा दंडनीय माना जाता है, तो उक्त महाप्रबंधक/प्रभारी उप महाप्रबंधक क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के परामर्श से संविदाकार पर प्रति उल्लंघन 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र) से अनधिक का जुर्माना लगा सकते हैं।

iii. बार-बार या निरंतर देरी के मामले में या इस समझौते के किसी भी प्रावधान के संविदाकार द्वारा किसी भी उल्लंघन के मामले में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी मुमप्र के अनुमोदन से महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग द्वारा लिखित में सूचना देकर तत्काल प्रभाव से संविदा को समाप्त कर सकता है, क्या इस तरह के विलंब या उल्लंघन के लिए पहले कोई जुर्माना प्रदान किया गया है लगाया गया है या नहीं।

iv. संविदा की निरंतरता मुख्य रूप से संविदाकार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। यदि किसी भी समय प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर संविदा समाप्त कर दिया जाएगा।

v. यदि संविदाकार लगातार 3 से अधिक अवसरों के लिए सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक को कोई नोटिस दिए बिना/बिना किसी कारण के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार है। इस मामले

में ट्रांसपोर्टर के पास मुआवजे का दावा करने की कोई शक्ति नहीं है।

vi. उन सभी मामलों में जहां संविदाकार पर कुल संविदा मूल्य का पांच प्रतिशत का संचयी जुर्माना लगाया गया है, दो साल की प्रारंभिक अवधि से आगे के विस्तार पर विचार नहीं किया जा सकता है।

7.

i. संविदाकार को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 (1) के तहत प्रदान किए गए सहायक श्रम आयुक्त, भारत सरकार, कोलकाता के कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा, जैसा कि धारा 21 ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के साथ पठित है और उपर्युक्त अधिनियम की अन्य आवश्यकताओं का भी अनुपालन करता है। यदि लाइसेंस लागू नहीं होता है, तो संविदाकार को एक हलफनामा उपलब्ध कराना होगा, जिसमें उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या का विवरण दिया गया हो।

ii. यदि संविदाकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) के साथ पठित ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 या लागू किसी अन्य कानून के तहत यथासंभव, लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसा न करने पर वह ही इसे सुनिश्चित करने वाली कार्रवाई/कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक को संविदाकार के कार्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और संविदाकार द्वारा किसी भी तरह से मजदूरों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।

iii. संविदाकार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/क़ानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए सभी नुकसानों और दावों, हर्जाने या मुआवजे के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करेगा। संविदाकार सिर्फ इस संबंध में देनदारियों, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार होगा। श्रमिकों को कम या न भुगतान किए जाने से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।

iv. संविदाकार को वेतन, वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और अन्य कानूनी देय राशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जो इस निविदा के तहत बैंक द्वारा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा नियोजित हैं। भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया जाना चाहिए। इन भुगतानों को करने के लिए लिखित रिकॉर्ड बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे जब भी इसके सत्यापन के लिए कहा जाएगा। मजदूरों को कम या न मिलने से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होना चाहिए

8. इसके अलावा, उन्हें संविदा श्रम अधिनियम 1970 के अनुसार अपने कर्मचारियों को पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। एजेंसी/संविदाकार को उस कार्य को सौंपने

से पहले लागू मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होता है जो वह वास्तव में सभी श्रमिकों को उस विशेष कार्य/कार्य को पूरा करने के लिए नियोजित किए जाने वाले सभी विवरणों के सभी श्रमिकों को उस दर पर मजदूरी का भुगतान करने के लिए करता है जो ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन अधिनियम), 1970 के तहत न्यूनतम मजदूरी के तहत निर्धारित दर से कम नहीं है और प्रधान नियोक्ता को भी रखना होगा इस तरह के वेतन का भुगतान करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफलता के लिए सांविधिक प्राधिकारों द्वारा प्रधान नियोक्ता के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयों के खिलाफ क्षतिपूर्ति की गई है।

9.

i. संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सिर्फ वयस्क, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्तियों को काम करने के लिए तैनात करे जो शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से फिट हैं और किसी भी पुरानी या संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं हैं।
ii. संविदाकार मजदूरी और अन्य सभी देय राशियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा, जो वे विभिन्न श्रम कानूनों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं। प्रत्येक कामगार को भुगतान सिर्फ बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाना चाहिए। संविदाकार उपस्थिति का एक रजिस्टर, मजदूरी का रजिस्टर बनाए रखेगा जिसे बैंक द्वारा समय-समय पर सत्यापन के लिए कहा जाएगा।
iii. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक द्वारा अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनियों से बीमा किया गया है, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। संविदाकार किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी अन्य चीज को किसी भी चोट या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।
iv. संविदाकार को पुलिस अधिकारियों और उनके पूर्व नियोक्ताओं द्वारा जारी श्रमिकों का चरित्र प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, उनके पूरा नाम, स्थायी और स्थानीय पते और हाल ही में पासपोर्ट आकार के फोटो बैंक को प्रदान करना चाहिए।

10. क्षति या हानि की राशि, और लगाए गए किसी भी जुर्माने को संविदाकार को देय किसी भी राशि से समय-समय पर काटा जा सकता है और/या उससे वसूल किया जा सकता है।

11. यदि किसी भी समय महाप्रबंधक/उमप्र, निर्गम विभाग को पता चलता है कि संविदाकार की चूक के माध्यम से अपर्याप्तता, या पूरी तरह से कवर की गई बंद कैश वैन/बंद वाहनों की आपूर्ति में देरी या विफलता या अन्य दोषों के कारण, खजाना नियत समय में नहीं भेजा जा सकता है, तो यह महाप्रबंधक, निर्गम विभाग के लिए खुला होगा कि वह मांग को रद्द कर दें और अवसर पर आपूर्ति किए गए सभी कंटेनरों को अस्वीकार कर दें और संविदाकार को उसमें शामिल किसी भी अतिरिक्त शुल्क के लिए उत्तरदायी बनाते किसी भी अन्य तरीके से काम पूरा कर लें, भले ही जुर्माना लगाया गया हो या नहीं।

12. **<u>क़ानून का अनुपालन:</u>**

संविदाकार देश और संबंधित राज्य (राज्यों) में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा। संविदाकार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से क्षतिपूर्ति करेगा और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

i. बोलीदाता को श्रम, कराधान, कामगार सुरक्षा, बाल और महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बोलीदाता को उपयुक्त प्राधिकरणों के तहत पंजीकृत होना चाहिए अर्थात, जीएसटी प्राधिकरणों/आयकर/पैन/ईपीएफ/ईएसआई प्राधिकरणों/भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/श्रम लाइसेंस आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

ii. संविदाकार मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों और संबंधित राज्यों में लागू राज्यों के नियमों का पालन करेगा।

iii. संविदाकार अन्य सभी वैधानिक भुगतानों का भुगतान करने के अलावा, केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अपने तैनात श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान जैसे सभी लागू वैधानिक भुगतान करेगा।

iv. कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/अथवा लाभांश और ईएसआई अधिनियम के तहत ईएसआई लाभांश, जैसा भी लागू हो, दिया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के अभाव में, संविदाकार को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कर्मकार प्रतिकर बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए। कुल प्रीमियम संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा। संविदाकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होगा। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; इसे अनुबंध को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल/बैंक गारंटी (पीबीजी) से काट लिया जाएगा।

v. संविदाकार को प्रचलित क़ानून के अनुसार अद्यतन किए गए सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों को बनाए रखना होगा और जब भी मांगे जाने पर प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

vi. संविदाकार तिमाही आधार पर बैंक द्वारा सत्यापन के लिए बैंक के काम के लिए सौंपे गए अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर के खिलाफ वेतन संवितरण विवरण प्रस्तुत करेगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर के तहत होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से,

कर्मचारियों के बैंक खाते में क्रेडिट किया जा सकता है और भुगतान का संकेत देने वाले बैंक स्टेटमेंट जमा किए जा सकते हैं।

vii. प्रधान नियोक्ता यानी बैंक ठेका श्रमिकों/कर्मचारियों/कर्मचारियों को कोई रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि प्रधान नियोक्ता के रूप में बैंक द्वारा लागू किसी भी कानून के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करने में उसकी ओर से चूक या चूक के कारण संविदाकार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों/कर्मचारियों/कर्मचारियों को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी राशि बैंक द्वारा संविदाकार द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में संविदाकार से वसूल की जा सकती है।

viii. संविदाकार किसी भी मजदूर या संविदा के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनात अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर में अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत संविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और वह उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा। संविदाकार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ix. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ संविदाकार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

x. संविदाकार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे संविदाकार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

13. **गैर-प्रकटीकरण खंड:**

संविदाकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने के दौरान संविदाकार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। संविदाकार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, इसके तहत दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर। संविदाकार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए संविदाकार बैंक

को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को संविदाकार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट है। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में संविदाकार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

14. **<u>कामगार सुरक्षा और बीमा:</u>**

i. संविदाकार अकेले ही अपने कर्मियों की सुरक्षा और बीमा या जीवन बीमा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जो संचालन और रखरखाव कार्यों पर काम कर रहे हैं।

ii. संविदाकार संविदा के संचालन के दौरान पुरुषों और सामग्रियों के लिए व्यापक सभी जोखिम बीमा कवर लेने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा, जिसमें उसके द्वारा या किसी तीसरे पक्ष को लगे मजदूरों को व्यक्तिगत चोट, बैंक या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को कोई नुकसान या क्षति शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के लागू रहने के दौरान बीमा कवर हमेशा चालू रखा जाए। महाप्रबंधक, निर्गम विभाग को संविदाकार को इस प्रकार खरीदी गई बीमा पॉलिसियों को प्रस्तुत करने और संविदाकार द्वारा लिए गए बीमा कवर की पर्याप्तता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए सत्यापित करने, जांच करने या जांच करने का अधिकार होगा। यदि महाप्रबंधक, निर्गम विभाग यह निर्धारित करता है कि बीमा कवर पर्याप्त (राशि में) नहीं है या उन सभी जोखिमों को कवर नहीं करता है जिनके लिए कर्मचारी / मजदूर संविदा कर्मचारियों के काम में शामिल जोखिम को ध्यान में रखते हुए उजागर होते हैं, तो संविदाकार अतिरिक्त राशि के लिए बीमा कवर खरीदेगा और साथ ही मौजूदा बीमा पॉलिसी में कवर नहीं किए गए जोखिमों के लिए भी जो सामान्य द्वारा निर्धारित अपर्याप्तता को पूरा करने के लिए प्रबंधक, निर्गम विभाग जिसमें विफल रहने पर बैंक अतिरिक्त राशि और/या अतिरिक्त जोखिमों के लिए बीमा खरीद सकता है। बैंक इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए खर्चों की वसूली संविदाकार से करेगा।

iii. संविदाकार अपने श्रमिकों द्वारा कार्य करते समय पर्याप्त सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि का उपयोग सुनिश्चित करेगा।

iv. अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय/निरीक्षण के लिए या अन्यथा किसी जनशक्ति को हुई किसी घातक चोट/मृत्यु के मामले में बैंक किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

v. उद्धृत दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी - जहां सेवा की जाती है और इसमें सभी वैधानिक दायित्व शामिल होंगे।

vi. संविदाकार संविदा के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मियों के संबंध में देय सभी प्रकार के बकाया के लिए

उत्तरदायी होगा और बैंक कर्मियों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी बकाया राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

vii. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशीली दवाओं के आदी नहीं हैं और बैंक के हित के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। संविदाकार अपने द्वारा तैनात सभी जनशक्ति के लिए पुलिस सत्यापन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा और संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिनियुक्त जनशक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए।

15. **विवाद समाधान तंत्र और मध्यस्थता:**

i. यदि अ संविदा या कार्यों के निष्पादन के संबंध में बैंक और संविदाकार/प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियों को उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आपसी चर्चा के माध्यम से, सद्भावना के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिस दिन कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए नोटिस देता है।

ii. यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो रहा है, तो विवाद को संदर्भित किया जाएगा और अंतिम रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से हल किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और संविदा पर लागू होगा.

iii. इस संविदा से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से संबंधित सभी विवादों को कोलकाता में उत्पन्न माना जाएगा और सिर्फ कोलकाता में न्यायालयों के पास इसे निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

16. **अखंडता समझौता (आईपी):**

प्रिंसिपल और निविदाकर्ता/संविदाकार के बीच दिनांक _____ निष्पादित सत्यनिष्ठा संधि को इस संविदा में शामिल किया जाता है और इसका हिस्सा माना जाता है। आईपी के तहत सभी दायित्व संविदा निष्पादन तक बोलियों के आमंत्रण से बाध्यकारी होंगे।

17. यह करार दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा; मूल बैंक के पास रखा जाएगा और संविदाकार द्वारा डुप्लिकेट रखा जाएगा। मूल पर देय स्टांप शुल्क संविदाकार द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।

18. इस करार के खंडों को निविदा दस्तावेज के साथ जोड़ा जाना चाहिए और संविदाकार को किसी भी दायित्व के कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि इस करार में एक विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

19. बैंक पुलिस अधिकारियों को एक पत्र जारी करेगा जिसमें उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे संविदाकार के वाहनों को प्रतिबंधित घंटों (दिन के समय) के दौरान शहर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दें। संविदाकार को पुलिस अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।

20. दोनों पक्ष करों का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं जो समय-समय पर किसी भी पक्ष पर लागू होते हैं।

भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू करों को स्रोत पर काटा जाएगा और इसके लिए संविदाकार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

21. वेंडर/संविदाकार बैंक की आईएस नीति के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करेगा।

22. इस करार में कोई भी संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और दोनों पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

23. इस करार के प्रावधान और संलग्न अनुसूची में दिखाई गई दरें 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी हैं।

गवाह में जिसके बारे में पक्षकारों ने इन विलेखों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन विलेखों पर और इसके एक डुप्लिकेट पर अपनी सामान्य मुहर लगा दी है, दिन और वर्ष पहले यहां ऊपर लिखा गया है।

कृते संविदाकार के लिए

हस्ताक्षर

नाम:

गवाह:

1.

(हस्ताक्षर और नाम)

2.

(हस्ताक्षर और नाम)

कृते भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम:

गवाह:

1.

(हस्ताक्षर और नाम)

2.

(हस्ताक्षर और नाम)

अनुलग्नक V

अखंडता संधि

(100 रुपये के बॉन्ड पेपर पर)

यह समझौता (इसके बाद इसे अखंडता संधि कहा जाता है) _____ 2026 को किया गया है,

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार, 15, एनएस रोड, कोलकाता - 700001 में हुई है, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय 15, एनएस रोड, कोलकाता - में है, जिसका अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति)

और

मैसर्स मैसर्स_____श्री/श्रीमती _____, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्राधिकृत प्रतिनिधि (इसके बाद "बोलीदाता" कहा जाता है, जिसका अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत असाइनमेंट) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया,

के बीच किया गया।

जबकि क्रेता सिक्कों और बैंकनोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में धातु के बंद कंटेनरों के लिए सेवाओं की खरीद करने का प्रस्ताव करता है; और बोलीदाता/वेंडर सिक्कों और बैंक नोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में धातु के बंद कंटेनरों की पेशकश करने के लिए तैयार है/पेशकश की है। खरीदार को वहाँ के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और बोलीदाता के साथ अपने संबंधों में निष्पक्षता का पालन करने की आवश्यकता है।

जबकि बोलीदाता एक निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/साझेदारी/एलएलपी/एलएलसी है, जिसका गठन इस मामले में प्रासंगिक कानून के अनुसार किया गया है और क्रेता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत अपने कार्यों का प्रदर्शन करने वाला एक वैधानिक निकाय है।

इसलिए, अब,

एक ऐसी प्रणाली का पालन करके सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचने के लिए जो निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रभाव / पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार से मुक्त हो, अनुबंध की मुद्रा से पहले, उसके दौरान और बाद में:

सार्वजनिक खरीद पर उच्च लागत और भ्रष्टाचार के विरूपण प्रभाव से बचकर क्रेता को परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वांछित सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना, और

बोलीदाताओं को रिश्वत देने या किसी भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने से बचने में सक्षम बनाना ताकि उन्हें यह आश्वासन प्रदान किया जा सके कि उनके प्रतिस्पर्धी भी रिश्वत और अन्य भ्रष्ट आचरण से दूर रहेंगे और क्रेता पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

इसके लिए पार्टियां इस सत्यनिष्ठा संधि करने के लिए सहमत हैं और निम्नानुसार सहमत हैं:

1. **खरीदार की प्रतिबद्धताएं**

1.1 क्रेता यह वचन देता है कि क्रेता का कोई भी अधिकारी, जो संविदा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो, बोली लगाने वाले से स्वयं के लिए या संविदा से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष के लिए बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, संविदा या संविदा के कार्यान्वयन प्रक्रिया में लाभ के बदले में प्रत्यक्ष या मध्यस्थों के माध्यम से किसी भी प्रकार की रिश्वत, प्रतिफल, उपहार, पुरस्कार, अनुग्रह या कोई भी भौतिक या अमूर्त लाभ या कोई अन्य लाभ नहीं मांगेगा, न ही उसका वादा लेगा और न ही स्वीकार करेगा।।

1.2 क्रेता, पूर्व-अनुबंध चरण के दौरान, सभी बोलीदाताओं के साथ समान व्यवहार करेगा, और सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी विशेष बोलीदाता को ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगा जो अन्य बोलीदाताओं की तुलना में उस विशेष बोलीदाता को लाभ उठा सके।

1.3 संविदा-पूर्व चरण के दौरान, क्रेता सभी बोलीदाताओं के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी बोलीदाताओं को एक ही जानकारी प्रदान करेगा तथा किसी विशेष बोलीदाता को ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगा जिससे उस विशेष बोलीदाता को अन्य बोलीदाताओं की तुलना में कोई लाभ मिल सके।।

2. यदि बोलीदाता द्वारा क्रेता को ऐसे किसी अधिकारी/अधिकारियों के पूर्व दुर्व्यवहार की पूर्ण और सत्यापित तथ्यों सहित रिपोर्ट दी जाती है और क्रेता द्वारा प्रथम दृष्टया इसे सही पाया जाता है, तो क्रेता द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही या कोई अन्य उचित कार्रवाई, जिसमें आपराधिक कार्यवाही भी शामिल है, शुरू की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को संविदा प्रक्रिया से संबंधित आगे के लेन-देन से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में, क्रेता द्वारा जांच किए जाने के दौरान, संविदा के अंतर्गत कार्यवाही को रोका नहीं जाएगा।।

3. बोलीदाताओं की प्रतिबद्धताएं

बोलीदाता संविदा को सुरक्षित करने के लिए या इसे सुरक्षित करने के लिए और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी भी चरण के दौरान भ्रष्ट प्रथाओं, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है:

3.1 बोलीदाता, प्रत्यक्ष या मध्यस्थों के माध्यम से, बोली प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े क्रेता के किसी भी अधिकारी को, या संविदा से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष को, बोली लगाने, मूल्यांकन करने, संविदा करने और संविदा के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के बदले में कोई रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, पुरस्कार, पक्षपात, कोई भौतिक या अमूर्त लाभ या अन्य फायदा, कमीशन, शुल्क, दलाली या प्रलोभन नहीं देगा।

3.2 बोलीदाता यह वचन देता है कि उसने संविदा प्राप्त करने या संविदा के निष्पादन या सरकार के साथ किसी अन्य संविदा के संबंध में किसी भी व्यक्ति के प्रति पक्षपात दिखाने या न दिखाने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रेता के किसी भी अधिकारी को या किसी अन्य को कोई रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, पुरस्कार, अनुग्रह, कोई भौतिक या अमूर्त लाभ या अन्य फायदा, कमीशन, शुल्क, दलाली या प्रलोभन नहीं दिया है, न ही देने की पेशकश की है और न ही देने का वादा किया है।

3.3 बोलीदाता एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करेंगे और भारतीय बोलीदाता अपने विदेशी प्रधानाचार्यों या सहयोगियों का खुलासा करेंगे।

3.4 बोलीदाता इस बोली/ संविदा के संबंध में एजेंटों/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को

उनके द्वारा किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करेंगे।

3.5 बोलीदाता आगे पुष्टि करता है और खरीदार को घोषणा करता है कि बोलीदाता ने किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी को शामिल नहीं किया है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, खरीदार या उसके किसी भी पदाधिकारी को आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से बोलीदाता को संविदा देने के लिए आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से सिफारिश करने के लिए, न ही किसी राशि का भुगतान किया गया है, ऐसी किसी भी मध्यस्थता, सुविधा या सिफारिश के संबंध में ऐसी किसी भी व्यक्तिगत फर्म, कंपनी को भुगतान करने का वादा किया गया है या करने का इरादा है।

3.6 बोलीदाता, या तो बोली प्रस्तुत करते समय या बातचीत के दौरान या संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले, संविदा के संबंध में खरीदार या उनके परिवार के सदस्यों, एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ के अधिकारियों के लिए प्रतिबद्ध या करने का इरादा रखने वाले किसी भी भुगतान का खुलासा करेगा और इस तरह के भुगतान के लिए सहमत सेवाओं का विवरण।

3.7 बोलीदाता बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति, बोली मूल्यांकन, संविदा और संविदा के कार्यान्वयन को बाधित करने के लिए संविदा में रुचि रखने वाले अन्य पक्षों के साथ सांठगांठ नहीं करेगा।

3.8 बोलीदाता किसी भी भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों के बदले में कोई लाभ स्वीकार नहीं करेगा।

3.9 बोलीदाता प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा वाहक में निहित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरण के संबंध में व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में खरीदार द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी का अनुचित उपयोग नहीं करेगा, या दूसरों को नहीं देगा। बोलीदाता भी उचित और पर्याप्त सावधानी बरतने का वचन देता है ताकि ऐसी कोई सूचना प्रकट न हो जाए।

3.10 बोलीदाता पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ इसका समर्थन किए बिना सीधे या किसी अन्य तरीके से किसी भी शिकायत को देने से बचने के लिए प्रतिबद्ध है।

3.11 बोलीदाता किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित किसी भी कार्य को करने के लिए उकसाएगा या उकसाने का कारण नहीं बनेगा।

3.12 यदि बोलीदाता या बोलीदाता का कोई कर्मचारी या बोलीदाता की ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, खरीदार के किसी भी अधिकारी का रिश्तेदार है, या वैकल्पिक रूप से, यदि खरीदार के किसी अधिकारी के किसी रिश्तेदार का बोलीदाता की फर्म में वित्तीय हित/हिस्सेदारी है, तो बोली दाखिल करते समय बोलीदाता द्वारा उसे बंद कर दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए 'रिश्तेदार' शब्द कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया गया है।

3.13 बोलीदाता खरीदार के किसी भी कर्मचारी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मौद्रिक लेनदेन या लेनदेन को उधार नहीं देगा या उधार नहीं लेगा।

4. क्रेता और बोलीदाता के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, जहां सत्यनिष्ठा संधि लागू होता है, यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो वे समयबद्ध तरीके से स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के पैनल के समक्ष मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रेता आईईएम के सामने मामलों का प्रतिनिधित्व करते समय अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाएगा और मामले में अपने निर्णय की प्रतीक्षा करेगा। यदि आईईएम के पैनल द्वारा मध्यस्थता के बाद भी विवाद अनसुलझा रहता है, तो बैंक संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। विवाद समाधान पर शुल्क/व्यय दोनों पक्षों यानी खरीदार और बोलीदाता द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

5. पिछला अपराध

5.1 बोलीदाता घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में, किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ इसके तहत परिकल्पित किसी भी भ्रष्ट आचरण के संबंध में या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या भारत के किसी भी सरकारी विभाग के साथ कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है जो बोली प्रक्रिया से बोलीदाता के बहिष्कार को उचित ठहरा सकता है। बोलीदाता उन लंबित उल्लंघनों की भी रिपोर्ट करेगा जिनके लिए तीन साल की उक्त अवधि से पहले ही संज्ञान लिया गया था।

5.2 बोलीदाता इस बात से सहमत है कि यदि वह इस विषय पर गलत बयान देता है, तो बोलीदाता को बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या संविदा, यदि पहले ही प्रदान किया जा चुका है, तो ऐसे कारण से समाप्त किया जा सकता है।

6. बयाना राशि

बोली जमा करते समय, बोलीदाता निम्नलिखित में से किसी भी लिखत के माध्यम से खरीदार के पास बयाना राशि/जमानत राशि के रूप में ₹ 52.08 लाख मात्र (बावन लाख आठ हजार रुपये मात्र) की राशि प्रस्तुत करेगा:

i. निम्नलिखित खाते में एनईएफटी:
   अ. खाते का नाम: आरबीआई, एनईएफटी, आवक प्राप्त
   आ. खाता संख्या: 186003001
   इ. आईएफएससी: RBIS0KLPA01 (कोड में 0 शून्य को दर्शाता है)

ii. एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी की गई एक पुष्ट बैंक गारंटी जिसमें क्रेता को बिना किसी कमी के और बिना किसी कारण के तीन कार्य दिवसों के भीतर मांग पर गारंटीकृत राशि का भुगतान करने का वादा किया गया है। खरीदार द्वारा भुगतान की मांग को भुगतान के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जाएगा।

iii. भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या वेतन आदेश।

7. उल्लंघन के लिए प्रतिबंध

7.1 बोलीदाता या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा (बोलीदाता की जानकारी के साथ या उसके बिना) उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, क्रेता को आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित में से कोई भी या सभी कार्रवाई करने का अधिकार होगा:

i. बोलीदाता को कोई कारण बताए बिना या कोई मुआवजा दिए बिना संविदा पूर्व वार्ताओं को तुरंत रद्द करना। हालांकि, अन्य बोलीदाता (बोलीदाताओं) के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।

ii. बयाना जमा-राशि (पूर्व-संविदा चरण में) और/या जमानत राशि /प्रदर्शन बैंक गारंटी (संविदा पर हस्ताक्षर करने के बाद) पूरी तरह से या आंशिक रूप से जब्त हो जाएगी, जैसा कि खरीदार द्वारा तय किया गया है और खरीदार को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए।

iii. बोलीदाता को कोई मुआवजा दिए बिना, यदि पहले से ही हस्ताक्षर किए गए हैं, तो संविदा को तुरंत रद्द करना।

iv. क्रेता द्वारा पहले से भुगतान की गई सभी राशियों को उस पर ब्याज के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की प्रचलित आधार दर से 1 प्रतिशत अधिक की दर से वसूलने के लिए, जबकि भारत के अलावा किसी अन्य देश के बोलीदाता के मामले में उस पर ब्याज एलआईबीओआर से 1 प्रतिशत अधिक है। यदि कोई बकाया भुगतान किसी अन्य सेवाओं के लिए किसी अन्य अनुबंध के संबंध में खरीदार से बोलीदाता के कारण है, तो इस तरह के बकाया भुगतान का उपयोग उपरोक्त राशि और ब्याज की वसूली के लिए भी किया जा सकता है।

v. खरीदार द्वारा पहले से किए गए भुगतानों की वसूली के लिए, ब्याज के साथ, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई सुरक्षा/प्रदर्शन बैंक गारंटी को भुनाने के लिए।

vi. बोलीदाता के साथ सभी या किसी अन्य संविदाओं को रद्द करना। बोलीदाता इस तरह के रद्दीकरण/निरसन के परिणामस्वरूप खरीदार को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और खरीदार बोलीदाता को देय राशि (राशियों) से देय राशि काटने का हकदार होगा।

vii. बोलीदाता को कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए आरबीआई की भविष्य की बोली प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करना, जिसे खरीदार के विवेक पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

viii. इस करार के उल्लंघन में बोली लगाने वाले (ओं) द्वारा किसी बिचौलिए या एजेंट या ब्रोकर को संविदा हासिल करने की दृष्टि से भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली करना।

ix. ऐसे मामलों में जहां बोलीदाता के साथ क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी संविदा के संबंध में अपरिवर्तनीय ऋण पत्र प्राप्त हुए हैं, उन्हें नहीं खोला जाएगा।

x. इस संधि के उल्लंघन के लिए मंजूरी लगाने का कोई कारण बताए बिना क्रेता द्वारा इसे जब्त करने के निर्णय के मामले में कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी की जब्ती।

7.2 खरीददार को इस समझौते की धारा 6.1 (i) से (x) में उल्लिखित सभी या कोई भी कार्रवाई बोलीदाता या उसके द्वारा नियोजित या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी

भी व्यक्ति द्वारा (बोलीदाता की जानकारी के साथ या उसके बिना) भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय IX या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या भ्रष्टाचार निवारण के लिए अधिनियमित किसी अन्य कानून में परिभाषित अपराध के किए जाने पर भी करने का अधिकार होगा।

7.3 इस आशय के खरीदार का निर्णय कि बोलीदाता द्वारा इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, बोलीदाता पर अंतिम और निर्णायक होगा। तथापि, बोलीदाता इस संधि के प्रयोजनों के लिए नियुक्त स्वतंत्र मॉनीटर (निगरानीरों) से संपर्क कर सकता है।

8 पतन खंड

बोलीदाता यह वचन देता है कि उसने भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उप या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में वर्तमान बोली में दी गई कीमत से कम कीमत पर समान मात्रा में समान उत्पाद/सेवाओं या उप-सेवाओं की आपूर्ति नहीं की है/नहीं कर रहा है और यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि बोलीदाता द्वारा सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को इसी तरह के उत्पाद/सेवाओं या उप-सेवाओं की आपूर्ति की गई थी भारत या पीएसयू या पीएसबी कम कीमत पर, तो वह कीमत, बीता हुआ समय के लिए देय भत्ता के साथ, वर्तमान मामले पर लागू होगी और लागत में अंतर बोलीदाता द्वारा खरीदार को वापस कर दिया जाएगा, यदि संविदा पहले ही समाप्त हो चुका है।

9 स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम)

9.1 क्रेता ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इस संधि के लिए स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ताओं (इसके बाद आईईएम के रूप में संदर्भित) की नियुक्ति की है, अर्थात्, श्री नागेश्वर राव कोरिपल्ली, आईआरएस (सेवानिवृत्त) 38, द ट्रेल्स, मणिकोंडा, आरआर जिला, हैदराबाद - 500 089 (ईमेल - knageshwarrao@gmail.com) और श्री प्रमोद श्रीपद फालनीकर, आईपीएस (सेवानिवृत्त) ए-2,602 फेज-1, आदित्य शगुन, सीएचएस, एनडीए-पाषाण रोड, बावधन, पुणे, महाराष्ट्र - 411 021 (ईमेल - pramodphalnikar@gmail.com)

9.2 आईईएम का कार्य स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना होगा कि क्या और किस हद तक पक्षकार इस संधि के तहत दायित्वों का अनुपालन करते हैं।

9.3 आईईएम पक्षकारों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होंगे और अपने कार्यों को तटस्थ और स्वतंत्र रूप से करेंगे।

9.4 दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि आईईएम को बैठकों के कार्यवृत्त सहित खरीद से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार है।

9.5 जैसे ही आईईएम नोटिस करता है, या विश्वास करने का कारण है, इस संधि का उल्लंघन है, वह खरीदार द्वारा नामित प्राधिकरण को सूचित करेगा।

9.6 बोलीदाता (ओं) स्वीकार करता है कि आईईएम को बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए सभी खरीद दस्तावेजों सहित क्रेता के सभी खरीद दस्तावेजों तक प्रतिबंध के बिना पहुंच का अधिकार है। बोलीदाता आईईएम को उसके अनुरोध और वैध हित के प्रदर्शन पर, अपने परियोजना प्रलेखन तक अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच प्रदान करेगा। यही बात उपसंविदाकाओंपर भी लागू होती है। बोलीदाता/उपसंविदाकार (ओं) की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ रखने के लिए आईईएम संविदात्मक दायित्व के अधीन होंगे।

9.7 क्रेता आईईएम को खरीद से संबंधित पक्षकारों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसी बैठकों से पक्षकारों के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। दोनों पक्ष आईईएम को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करेंगे।

9.8 आईईएम क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसे संदर्भ या सूचना देने की तारीख से 8 से 10 सप्ताह के भीतर खरीदार के नामित प्राधिकरण को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अवसर आने पर समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

10 जांच में सुविधा प्रदान करना

इस संधि के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या कमीशन के भुगतान के किसी भी आरोप के मामले में, क्रेता या उसकी एजेंसियां बोलीदाता की लेखा पुस्तकों सहित सभी दस्तावेजों की जांच करने की हकदार होंगी और बोलीदाता अंग्रेजी में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान करेगा और ऐसी परीक्षा के उद्देश्य के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा।

11 कानून और क्षेत्राधिकार का स्थान

यह संधि भारतीय कानून के अधीन है। निष्पादन और क्षेत्राधिकार का स्थान क्रेता का मुख्यालय, अर्थात् कोलकाता है।

12 अन्य प्रावधान

12.1 परिवर्तन और पूरक के साथ-साथ समाप्ति नोटिस लिखित रूप में करने की आवश्यकता है। साइड एग्रीमेंट नहीं किए गए हैं।

12.2 यदि संविदाकार एक साझेदारी या कंसोर्टियम है, तो इस करार पर सभी भागीदारों या कंसोर्टियम सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

13 अन्य कानूनी कार्रवाइयां

इस सत्यनिष्ठा संधि में निर्धारित कार्रवाइयां किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं जो किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही से संबंधित मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार हो सकती हैं।

14 वैधता

14.1 इस सत्यनिष्ठा समझौते की वैधता इसके हस्ताक्षर की तारीख से होगी और समग्र संविदा के हिस्से के रूप में सफल बोलीदाता को अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान के 12 महीने बाद, जो भी बाद में हो, तक बढ़ाई जाएगी। यदि बोलीदाता असफल होता है, तो यह सत्यनिष्ठा संधि संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छह महीने के बाद समाप्त हो जाएगा।

14.2 यदि इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं; इस संधि का शेष भाग वैध रहेगा। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादों पर करार करने का प्रयास करेंगी।

निविदाकर्ता/संविदाकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने सत्यनिष्ठा संधि को पढ़ लिया है और निष्पादित कर दिया है। वे समझते हैं कि:

(ए) सत्यनिष्ठा संधि की शर्तों के उल्लंघन से बोली अस्वीकृति या संविदा समाप्ति होगी;

(बी) वे अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे जबकि मामले स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के पास लंबित हैं;

(सी) सत्यनिष्ठा संधि से संबंधित विवादों पर बैंक के सतर्कता विभाग का क्षेत्राधिकार है।

अखंडता संधि के तहत सभी दायित्व संविदा निष्पादन तक बोलियों के आमंत्रण से बाध्यकारी होंगे।

15 दोनों पक्षों ने कोलकाता में इस सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किए

क्रेता भारतीय रिज़र्व बैंक (विधिक इकाई)	बोलीदाता
अधिकारी का नाम:	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
पदनाम:	पदनाम:
विभाग:	
गवाह: 1.	गवाह: 1.
2.	2.

अनुलग्नक VI:

ईएमडी के स्थान पर बैंक गारंटी का प्रारूप

(जारी करने वाले बैंक के नाम पर उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

यह गारंटी पत्र, दिनांक_तिथि, सन् में, (बैंकर का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय_(स्थान) में है तथा जिसका एक स्थानीय कार्यालय (स्थान) में है (जिसे इसमें "सुरक्षाकर्ता" कहा गया है), एवं भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा गठित निगम, जिसका मुख्यालय केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400 001, भारत में है (जिसे इसमें "बैंक" कहा गया है), के मध्य बनाया गया है।

जबकि, (टेंडरकर्ता का नाम, जिसे आगे "टेंडरकर्ता" कहा जाएगा) जो अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय पर है, बैंक को ईमानदारी राशि के रूप में भारतीय रुपये (केवल रु._मात्र) जमा करने का बाध्य है, जो बैंक के लिए सिक्का बैग एवं नोट बॉक्सों को संभालने हेतु पर्याप्त संख्या में वयस्क एवं कार्यक्षम श्रमिकों के लिए टेंडर एवं संलग्न शर्तों से संबंधित है।

जबकि, टेंडरकर्ता ने टेंडर आमंत्रण के निर्देशों के_अनुभाग ।।, खंड_संख्या के अनुसार ईमानदारी राशि के नकद जमा के स्थान पर तिथि तक वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का वचन दिया है।

अतः इस गवाही पत्र द्वारा साक्षित है कि:

1. सुरक्षाकर्ता, टेंडरकर्ता द्वारा बैंक को प्रस्तुत उपरोक्त टेंडर के बदले में, इस गारंटी पत्र को प्रस्तुत करने पर बैंक से मांग प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बिना किसी आपत्ति के बैंक को उक्त राशि_का भुगतान करने की गारंटी देता है, जो टेंडरकर्ता द्वारा अपने टेंडर से संबंधित ईमानदारी राशि के रूप में बैंक को जमा करने का बाध्य है।
2. यह गारंटी टेंडरकर्ता की किसी भी अवैधता या अनियमितता, या बैंक, टेंडरकर्ता या सुरक्षाकर्ता के विघटन या संविधान में किसी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।
3. बैंक, इस गारंटी के तहत कोई दावा करने का अधिकारी होगा यदि टेंडरकर्ता, अपना टेंडर प्रस्तुत करने के पश्चात्, अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है या शर्तों को बैंक द्वारा स्वीकार्य नहीं होने वाले ढंग से संशोधित करता है या बैंक द्वारा टेंडरकर्ता को कार्य आदेश देने के निर्णय के बाद कार्य स्वीकार करने से अस्वीकृति व्यक्त करता है। बैंक का इस संबंध में निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
4. सुरक्षाकर्ता, इस गारंटी को इसकी वैधता अवधि के दौरान बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना निरस्त नहीं कर सकता।
5. उपरोक्त के बावजूद, सुरक्षाकर्ता की इस गारंटी के तहत दायित्व केवल रु._तक सीमित है।
6. यह गारंटी तक कार्यशील रहेगी तथा बैंक द्वारा सुरक्षाकर्ता को सूचना देने पर समाप्त होकर अप्रभावी हो जाएगी, जिसके उपरांत यह गारंटी समाप्त मानी जाएगी।

7. सुरक्षाकर्ता, टेंडरकर्ता एवं बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के मध्य किसी विवाद के होने या उत्पन्न होने के बावजूद, बैंक द्वारा जारी मांग सूचना के अनुसार भुगतान करेगा।
8. बैंक द्वारा टेंडर की शर्तों को लागू करने में किसी भी देरी, कार्य या अनुपस्थिति, या टेंडरकर्ता के प्रति किसी भी अनुग्रह दिखाने से सुरक्षाकर्ता का दायित्व समाप्त नहीं होगा। सुरक्षाकर्ता का दायित्व केवल बैंक द्वारा सूचना देने पर समाप्त होगा।
9. इस गारंटी के तहत सुरक्षाकर्ता से लिखित रूप में मांग या दावा_तिथि तक न किए जाने पर, सुरक्षाकर्ता इस गारंटी के तहत सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा।
10. सुरक्षाकर्ता के पास अपने संविधान एवं अनुच्छेदों के अंतर्गत यह गारंटी जारी करने का अधिकार है, तथा इस गारंटी पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सुरक्षाकर्ता द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र के अंतर्गत आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं।

इस प्रकार हस्ताक्षरित एवं सौंपा गया।

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तथा इसके नाम पर।

(बैंकर का नाम एवं मुहर) की ओर से तथा इसके नाम पर शाखा प्रबंधक (बैंकर का शाखा प्रबंधक)

भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
निर्गम विभाग / Issue Department
कोलकाता / Kolkata

सिक्कों और बैंक नोटों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढकी हुई धातु बंद कैश वैन/बंद वाहनों की आपूर्ति के लिए ई-निविदा

ई-निविदा **सं. RBI/Kolkata Regional Office/Issue/1/25-26/ET/854** [

(भाग II)

(मूल्य बोली)

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

भाग- II: मूल्य बोली (निविदा प्रपत्र का हिस्सा बनना) परिवहन शुल्क (सभी करों सहित लेकिन जीएसटी को छोड़कर)

सिक्का बैग/बोरियों के लिए परिवहन शुल्क की दर:

क्रम नहीं।	**कार्यों की मद**	**के लिए परिवहन शुल्क**		
		3 टन का कंटेनर	**6 टन का कंटेनर**	**9 टन का कंटेनर**
1	भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता/आईजी मिंट अलीपुर से हावड़ा/शालीमार/सियालदह/संतरागाछी/कोलकाता स्टेशन / किडरपोर डॉक/एनएससीबी हवाई अड्डे/करेंसी चेस्ट/आरबीआई कार्यालय आदि तक 1-25 किलोमीटर के लिए सिक्का बैग/बोरियों के परिवहन के लिए और इसके विपरीत, एक केवल रास्ता **(न्यूनतम शुल्क)**			
	वेटेज	0.0015	0.002	0.038
2	भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता/आईजी मिंट अलीपुर से हावड़ा/शालीमार/सियालदह/संतरागाछी/कोलकाता रेलवे स्टेशन/किडरपोर डॉक/एनएससीबी एयरपोर्ट/करेंसी चेस्ट/आरबीआई के अन्य कार्यालयों आदि तक 26 किलोमीटर और उससे अधिक के लिए सिक्कों के बैग/बोरियों के	**(दर प्रति किमी)**	**(दर प्रति किमी)**	**(दर प्रति किमी)**

	परिवहन के लिए और इसके विपरीत, केवल एक ही रास्ता **(प्रति किमी दर)**			
	वेटेज	0.0185	0.043	0.89
3	आईजी मिंट, अलीपुर से आरबीआई, मुख्य कार्यालय परिसर और इसके विपरीत, सिक्के के बैग/बोरियों के परिवहन के लिए केवल एक ही रास्ता (निश्चित **शुल्क**)			
	वेटेज	0.00012	0.00015	0.0005
4	भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता/प्रेस आदि से करेंसी चेस्ट/आरबीआई के अन्य कार्यालयों/किसी अन्य गंतव्य आदि तक 1-25 किलोमीटर के लिए नोटबॉक्स/स्टील ट्रंक के परिवहन के लिए और इसके विपरीत, केवल एक ही रास्ता **(न्यूनतम शुल्क)**			
	वेटेज	0.0003	0.00016	0.00022
5	भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता से 26 किलोमीटर और उससे अधिक के नोट बॉक्स/स्टील ट्रंक के परिवहन के लिए किसी अन्य गंतव्य यानी करेंसी चेस्ट/अन्य आरबीआई कार्यालयों आदि के लिए केवल एक ही रास्ता	**(दर प्रति किमी)**	**(दर प्रति किमी)**	**(दर प्रति किमी)**
	वेटेज	0.0011	0.000845	0.00242

6	यदि ट्रांसपोर्टर वापसी की यात्रा पर गंदे नोट/सिक्के/बक्से/बोरे आदि लाता है तो ए-ओने शुल्क लेता है (50 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाले न्यूनतम शुल्क के अधीन चेस्ट और वापस प्राप्त करने के लिए आरबीआई कार्यालय)।	**(दर प्रति किमी)**	**(दर प्रति किमी)**	**(दर प्रति किमी)**
	वेटेज	0.00036	0.00036	0.000465

नोट:

(क) ठेकेदारों को सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त मदों के संबंध में शून्य राशि का उल्लेख न करें।

(ख) दरों में सभी कर शामिल होने चाहिए लेकिन जीएसटी को छोड़कर।

(ग) बक्सों में पैक किए गए बैंक नोटों के लिए 3 टन (30 लकड़ी के बक्से रखने वाले), 6 टन (31-55 लकड़ी के बक्से रखने वाले), 9 टन (56-75 लकड़ी के बक्से रखने वाले) के लिए दरें उद्धृत की जानी होती हैं।

(घ) थैलियों में पैक किए गए सिक्कों के लिए 3 टन, 6 टन और 9 टन धातु के कंटेनरों में सिक्कों की थैलियों (वजन के संदर्भ में) रखने के लिए दरें उद्धृत की जानी होती हैं।

(ङ) क्रम सं 2 और 5 पर 25 किमी की दूरी को कवर करते हुए न्यूनतम प्रभार लगाया जाता है।

(च) भारत के मोटरिंग गाइड के अनुसार दूरी बिलों के निपटान के समय स्वीकार की जाएगी।

(छ) वजन अनुमान - प्रति नोट बॉक्स/प्रति सिक्का बैग

1. भरे हुए नोट बॉक्स (लकड़ी) - 80 से 130 किलोग्राम (लगभग)
2. भरे हुए नोट बॉक्स (स्टील ट्रंक) - 80 से 150 किलोग्राम तक (लगभग)
3. सिक्का बैग - 9 से 18 किलोग्राम प्रति बैग (लगभग)

(ज) मुख्य रूप से एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुक किए गए कंटेनर का उपयोग उसी दिन किसी अन्य

उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। उस स्थिति में, तय की गई दूरी को एक साथ जोड़ा जा सकता है।

मैं भारतीय रिजर्व बैंक, कोलकाता द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित निबंधन और शर्तों से सहमत हूं।

दिनांक: _____ _____

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम _____

(फर्म/कंपनी के रबर स्टैम्प/सील के साथ)

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता के हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

खंड V

निषिद्ध प्रथाएं/निविदाएं अयोग्यता/अस्वीकृति की ओर ले जाने वाली स्थितियां

1. बैंक की यह अपेक्षा है कि निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करने में रुचि रखते हैं, वे अनुबंध/सौदे की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:

(अ) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है:

i. "भ्रष्ट प्रथा" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान चीज़ की पेशकश, देना, प्राप्त करना, या याचना करना;

ii. "धोखाधड़ी प्रथा" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें एक गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है, एक पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए;

iii. "जबरदस्ती प्रथा" का अर्थ है किसी पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या पक्ष की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना या नुकसान पहुंचाना, या नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना; तथा

iv. "मिलीभगत प्रथा" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है;

(आ) पुरस्कार के लिए एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि निविदा लेने के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है।

(इ) एक निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता

संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है;

(ई) निविदा के लिए एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है।

(उ) एक निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता संविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है;

2. निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से या उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने के लिए किसी भी प्रचार से प्रक्रिया से अयोग्यता होगी। ऐसे निविदाकर्ताओं को अगले तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में उनका पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से होगी।

3. अपूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त बोलियां या उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के बिना बैंक द्वारा एकमुश्त और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।

4. यह एक ई-निविदा है। डाक, फैक्स या ईमेल या निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस मामले पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. निर्धारित ईएमडी/प्रोसेसिंग शुल्क के बिना या उससे कम प्राप्त निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

6. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

7. सशर्त निविदाओं को सीधे खारिज कर दिया जाएगा, और कोई अतिरिक्त खंड पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कोई निविदा संशोधित नहीं की जा सकती है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और निविदा में निविदाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान निविदा वापस लेने पर ईएमडी जब्त हो जाएगा।

9. वैकल्पिक प्रस्तावों/पूरा होने के समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. निविदाकर्ता के हितों का टकराव नहीं होगा। नीचे उल्लिखित हितों के टकराव वाले सभी निविदाकर्ताओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

11. दो अलग-अलग आवेदनों में निविदाकारों में शेयरधारकों को नियंत्रित करने वाले समान होते हैं।

12. निविदाकर्ताओं (उनके कर्मियों सहित) जिनके आरबीआई कर्मचारियों के ऐसे सदस्यों के साथ व्यावसायिक और पारिवारिक संबंध हैं, जो निविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, उन्हें संविदा नहीं दिया जाएगा।

13. सफल निविदाकर्ता (ओं) द्वारा करार पर हस्ताक्षर करने और संविदा को निष्पादित करने से इनकार करने या संविदा को रद्द करने या किसी भी तरह से सेवा में व्यवधान पैदा करने की स्थिति में, इसकी वैधता के दौरान किसी भी समय, बैंक के पास पड़े ईएमडी/एसडी को जब्त कर लिया जाएगा/रद्द कर दिया जाएगा और निविदाकर्ता को भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने से काली सूची में डाल दिया जाएगा।